



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2018—फाल्गुन 25, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्र. ई-5-884-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री तन्वी सुन्दरियाल, भाप्रसे., कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 5 फरवरी से 6 मार्च 2018 तक, तीस दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) सुश्री तन्वी सुन्दरियाल की अवकाश अवधि में श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री तन्वी सुन्दरियाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) सुश्री तन्वी सुन्दरियाल द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सोमेश मिश्रा, कलेक्टर जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी सुन्दरियाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी सुन्दरियाल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्र. ई-1-43-2018-5-एक.—सुश्री नेहा मारव्या सिंह, भाप्रसे (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार सुश्री नेहा मारव्या सिंह, भाप्रसे (2011) द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्र. ई-5-819-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदारलाल शर्मा, आयएस., सचिव, गृह विभाग को दिनांक 20 से 21 फरवरी 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री केदारलाल शर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री केदारलाल शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदारलाल शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-890-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे (2010), कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 5 से 9 मार्च 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 मार्च एवं दिनांक 10, 11 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, सिंगरौली का प्रभार श्री प्रियंक मिश्रा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रियंक मिश्रा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-907-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएस., अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर को दिनांक 2 से 13 फरवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-934-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुरभि गुप्ता, भाप्रसे (2008), अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर को 19 से 24 फरवरी 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश की जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुरभि गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरभि गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1022-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाराणसी, जिला बालाघाट को दिनांक 5 से 24 मार्च 2018 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 25 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2018

क्र. ई.-5-690-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिरुद्ध मुकजी, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई को दिनांक 5 से 9 मार्च 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 मार्च 2018 तथा दिनांक 10, 11 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अनिरुद्ध मुकजी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का प्रभार श्री अशोक शाह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरुद्ध मुकजी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनिरुद्ध मुकजी, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिरुद्ध मुकजी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरुद्ध मुकजी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-921-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पंकज जैन, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर को दिनांक 9 से 23 फरवरी 2018 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज जैन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पंकज जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-1049-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमर पाल सिंह, आयएस., संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल को दिनांक 12 से 24 फरवरी 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमर पाल सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अमर पाल सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमर पाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2018

क्र. ई.-5-913-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरजिंदर सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को दिनांक 5 से 14 मार्च 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्रीमती दिशा नागवंशी, अपर कलेक्टर, मुख्यालय, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दिशा नागवंशी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-984-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री शीतला पटले, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा जिला ग्वालियर को दिनांक 26 फरवरी से 24 अगस्त 2018 तक एक सौ अस्सी दिन

का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शीतला पटले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री शीतला पटले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शीतला पटले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं

क्र. ई-5-1057-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वंदना वैद्य, आयएस., अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वंदना वैद्य, आयएस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती वंदना वैद्य, आयएस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वंदना वैद्य, आयएस. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2018

क्र. ई.-1-47-2018-5-एक.—श्री बाबू सिंह जामौद, भाप्रसे (2006) कलेक्टर, जिला अशोकनगर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री बाबू सिंह जामौद, भाप्रसे (2006) द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) श्री वी. एस. चौधरी कोलसानी, भाप्रसे (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कलेक्टर, जिला अशोकनगर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2018

क्र. ई-1-34-2018-5-एक.—श्री आशीष भार्गव, भाप्रसे (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संयुक्त संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संचालनालय का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2018

क्र. ई-5-940-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजीव शर्मा, आयएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 12 से 22 फरवरी 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2018

क्र. ई.-5-546-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आई. सी. पी. केशरी, भाप्रसे (1988), प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग एवं विशेष आयुक्त, (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 14 से 28 मई 2018 तक, पन्द्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई. सी. पी. केशरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग एवं विशेष आयुक्त, (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आई. सी. पी. केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. सी. पी. केशरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2018

क्र. ई.-5-687-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 7 से 23 मई 2018 तक, सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-732-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर को दिनांक 2 से 6 अप्रैल 2018 तक, पांच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2018

क्र. ई.-5-864-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विशेष गढ़पाले, भाप्रसे (2008), कलेक्टर, जिला कटनी को समसंख्यक आदेश दिनांक

8 फरवरी 2018 द्वारा दिनांक 19 से 24 फरवरी 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 19 से 22 फरवरी 2018 तक, चार दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 फरवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 फरवरी 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2018

क्र. 849-289-2018-2-एक.—सुश्री साधना देवी सिंगराम, राप्रसे (आर आर 2012), संयुक्त कलेक्टर, उमरिया द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर विवाहोपरांत उप नाम सुश्री साधना देवी सिंगराम के स्थान पर श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते परिवर्तित करने का अनुरोध किया है।

(2) राज्य शासन, एतद्वारा सुश्री साधना देवी सिंगराम, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, उनका नाम सुश्री साधना देवी सिंगराम के स्थान पर श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते के सेवा अभिलेखों में की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2018

क्र. एफ-1(ए)10-2000-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को निरस्त करते हुए, श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा एवं समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली कैम्प ऑफिस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 से 8 जनवरी 2016 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (सुरक्षा एवं समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली कैम्प ऑफिस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2018

क्र. एफ 1(बी) 35-2017-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	46	श्री पिंटू कुमार बघेल, C/O श्री कल्याण सिंह, 247, सेमल्या रोड, गुड़ीखेड़ा, जिला खण्डवा, म. प्र.-450881.	खरगौन

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनयादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जावेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(6) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(8) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(10) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(11) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों को पूर्ण संज्ञान है.

क्र. एफ 1(बी) 159-2016-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01	श्री रघु केसरी, म. नं. 148, वार्ड नं.-11, हनुमानगंज, ब्यूहारी जिला शहडोल, म. प्र.-484774.	छतरपुर

(2) नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा आदेश प्राप्त के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना

न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2018

क्र. एफ 6-1-2016-अट्ठावन.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जनवरी 2016 द्वारा माननीय श्री रामकिशन चौहान, अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा) मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, 1996 के आर्टिकल 74(ए), 76 तथा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी दो वर्ष के लिए मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था।

राज्य शासन, एतद्वारा, श्री रामकिशन चौहान, अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा) मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित के

कार्यकाल में 02 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, की वृद्धि की जाती है।

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2018

क्र. एफ 9-2-2016-अट्ठावन.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 74(ए), द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री मनोज जैन, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के स्थान पर श्री शक्तिशरण, उपसचिव, वित्त को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के संचालक मंडल में सदस्य नामांकित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार मुण्डा, अवर सचिव।

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2018

क्रमांक—एफ—25—37/2017/10—3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। ये वनखण्ड N21°49'06" से N21°49'23" उत्तर अक्षांश तथा E79°35'46.1" से E79°36'7.8" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला — सिवनी

वनमंडल — दक्षिण सिवनी वनमंडल

तहसील — कुरई

वन परिक्षेत्र — कुरई

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	करजमारा रैयत	करजमारा रैयत	पहाड़ चट्टान	2/3	6.40	उत्तर— आरक्षित वनकक्ष RF 239 के मुनारा क्रमांक 6/1 से 4/2 तक की वन सीमा। पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4/2 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				2/4	8.83	
				2/5	3.68	

						दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 6/1 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं प्राकृतिक नाला की सीमा।
				योग :-	18.91	

(क) अधिसूचना का प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक No 6MPC-051/2012-BHO/2069 दिनांक 28.11.2014 एवं No 6MPB-0129/2012-BHO/044 दिनांक 18.01.2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सिवनी की स्वीकृत परियोजना पीपरताल, कातौली जलाशय में प्रभावित 12.51 हे. वनभूमि एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क आगरी से धोबीटोला के एवज में प्राप्त 6.40 हे. कुल 18.91 हे० गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 18.91 हे. की क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सिवनी के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. 12/अ-82(19)/2010-11 दिनांक 27.06.2012, 13/अ-82(19)/2010-11 दिनांक 20.03.2012 एवं 7773 दिनांक 10.10.2011 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, कलेक्टर सिवनी के प्रतिवेदन क्रमांक 3674, 3675 एवं 3676 दिनांक 27.06.2012 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्ति अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2018

एफ-25-37-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-37-2017-दस-3, दिनांक 1 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 1st Mach 2018

No.-25-37/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the Said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N21° 49' 06" to N21° 49' 23" North Latitude and E79° 35' 46.1" to E79° 36' 7.8" East Longitude.

SCHEDULE

District - Seoni

Forest Division - South Forest Division Seoni

Tahsil - Kurai

Forest Range - Kurai

S. N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of forest block	Name of village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1	Karmara Raiyat	Karmara Raiyat	Pahar Chattan	2/3	6.40	North- Boundary of Reserve Forest Compartment No. RF 239 From 6/1 to 4/2. East - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 4/2 to 5 of Protected Forest Block. South - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5 to 7 of Protected Forest Block. West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 to 6/1 and Natural Boundary of Nala.
				2/4	8.83	
				2/5	3.68	
				Total :-	18.91	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest. Govt. of India's order No. No 6MPC-051/2012-BHO/2069 dated 28-11-2014 and No 6MPB-0129/2012-BHO/044 dated 18-01-2016 in lieu of 12.51 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Pipartal and Katoli Tank of Executive Engineer Water Resources Department Seoni, the above mentioned Non Forest Land of 12.51 hectare and PMRY Seoni Road Agri to Dhobitola of 6.40 hec. Total 18.91 hec. transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order no. 12/A-82(19)/2010-11 dated 27/06/2012, 13/A-82(19)/2010-11 dated 20/03/2012 and 7773 dated 10-10-2011 of Collector, Seoni. Dist- Seoni for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. 3674, 3675 & 3676

Dtd.-27/06/2012 of Collector, Seoni are as under :-

1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights:- There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2018

क्रमांक-एफ-25-113/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 21°45'51.1" से 21°46'19.6" उत्तर अक्षांश तथा 76°41'44.8" से 76°42'01.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - खण्डवा

तहसील - खालवा

वनमंडल - खण्डवा (सा.)

वन परिक्षेत्र - खालवा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	राजस्व ग्राम नामापुर	नामापुर	घांस	1	1.520	उत्तर- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 9 की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 9 से 15 की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 15 से 20 एवं 1 की कृत्रिम वन सीमा।
			घांस	3	2.390	
			पहाड़ चट्टान	4	12.920	
			पहाड़ चट्टान	24	2.200	
			पहाड़ चट्टान	25	3.490	
			योग		22.520	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-646/84/एफसी/दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना इंदिरा सागर परियोजना में प्रभावित 41111.97 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 22.520 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/18687/वाचक.कले./2000 खण्डवा, दिनांक 17/12/2000 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खालवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2018

एफ-25-113-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-113-2017-दस-3, दिनांक 1 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 1st Mach 2018

No-F-25-113/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State

Government from time to time. This Forest Block lies between 21°45'51.1" to 21°46'19.6" North Latitude and 76°41'44.8" to 76°42'01.0" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Khandwa
Forest Division: -Khandwa (G)

Tahsil :- Khalwa
Forest Range :- Khalwa

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (H.)		
1.	Forest Block Namapur	Revenue Village Namapur	Grass	1	1.520	North-	Artificial Forest Boundary From Pillar No. 1 of Protected Forest Block.
			Grass	3	2.390		
			Pahad Chattan	4	12.920	East -	Artificial Forest Boundary From Pillar No. 1 to 9 of Protected Forest Block.
			Pahad Chattan	24	2.200		
			Pahad Chattan	25	3.490		
			Total		22.520	West-	Artificial Forest Boundary From Pillar No. 15 to 20 & 1 of Protected Forest Block.

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-646/ 84 / FC/ dated 07-10-1987 and in lieu of 22.520 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Indira Sagar Project of N.V.D.A. the above mentioned Non Forest Land of 41111.97 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No./18687/Reader Coll./2000, Khandwa Dated 17.12.2000 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Khalwa are as under.

1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights:- There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2018

क्र. एफ-11-04-2018-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	स्मारक की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	PWD स्टोर के पास, पन्ना.	महाराजा किशोर सिंह का मकबरा पन्ना.	ख. नं. 3234/1	0.107	शासन	नहीं	130×90
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	सर्किट हाउस के नीचे पन्ना.	महाराजा किशोर सिंह की पत्नी का मकबरा, पन्ना.	ख. नं. 3234/1	0.078	शासन	नहीं	94×90

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्र. 206.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम खमरा कलॉ प.ह.नं. 46 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-343.544	ग्राम ढालापठार, प.ह.नं. 46

क्र. 207.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम केवलारी, प.ह.नं. 25 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-296.842 हेक्ट.	ग्राम बिछुआ, प.ह.नं. 25

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल
ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल—462 016

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2018

रायसेन विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1156-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि रायसेन विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
2. कलेक्टर, जिला रायसेन
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, रायसेन

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रायसेन विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	6	सारणी 6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		कृषि	6	सारणी 6-सा-14	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2018

विदिशा विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1210-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विदिशा विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
2. कलेक्टर, जिला विदिशा
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, विदिशा.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	विदिशा विकास योजना 2011.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि	6 6	6-सा-15 6-सा-15	4 7	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में “मध्यप्रदेश राजपत्र” में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2018

उज्जैन विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1274-वि.यो. 496-नगानि-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास योजना में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन.
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन.
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन.
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन.

अनुसूची

क्रमांक (1)	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान (2)	उपांतरण पश्चात् उपांतरित प्रावधान (3)
1	1.3 योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 474.69 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित हुआ है। विभिन्न उपयोग के अन्तर्गत हुए विकास का विवरण नीचे दिया गया है।	1.3 योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 74.69 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित हुआ है। विभिन्न उपयोग के अन्तर्गत हुए विकास का विवरण नीचे दिया गया है।
2	4.1 प्रवृत्तशीलता 2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन तथा भूमि के व्यवसायिक उपयोग शामिल है।	4.1 प्रवृत्तशीलता 2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन, संयुक्तिकरण/विलियन उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।
3	4.2 क्षेत्राधिकार इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23-1973) की धारा (13) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक 402/एफ-1/33/74, भोपाल दिनांक 2-2-1974 एवं मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1319/32-1/85, भोपाल दिनांक 2-4-1985 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियम इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होंगे।	4.2 क्षेत्राधिकार इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23-1973) की धारा (13) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक 402/एफ-1/33/74, भोपाल दिनांक 2-2-1974 एवं मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1319/32-1/85, भोपाल दिनांक 2-4-1985 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियम इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
4	4.4.2 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उपविभाजन (6) आवासीय अभिन्यासों में राज्य शासन निर्धारित मापदण्ड एवं समय-समय पर प्रसारित आदेशानुसार समाज के कमजोर वर्ग हेतु भूमि/भवन का आरक्षण किया जावेगा। (7) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट एम. (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।	4.4.2 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उपविभाजन (6) राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. वर्ग हेतु अभिन्यासों में प्रावधान करना होगा। (7) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के परिशिष्ट ज नियम 99 में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय तथा कमजोर वर्ग के अभिन्यास मान्य होंगे।

(1)

(2)

(3)

—उज्जैन विकास योजना के पृष्ठ क्रमांक 75 सारणी 4 सा-2 के नोट-7 के पश्चात् 8 का स्थापन.

कण्डिका 7 के पश्चात् 8 का अन्तः स्थापना

(8) रोहाडसिंग अथवा निर्मित भवन योजना विकासकर्ता को अभिन्यास अनुमोदन उपरान्त कालोनी विकास की अनुमति के साथ-साथ भवन निर्माण हेतु अनुमति मान्य हो सकेगी. इस हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42, 56 एवं 61 के अनुसार नियोजन मापदण्ड निर्धारित किये जावेंगे.

5. समूह आवास

समूह आवास

समूह आवास परियोजनायें निम्न नियमनों से अधिशासित होगी.

समूह आवास मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 60 तथा 42 (आवश्यकता अनुसार) के अनुरूप मान्य होंगे.

(अ) ऐसे प्रकार के विकास हेतु स्थल का न्यूनतम आकार 5000 वर्ग मीटर होना चाहिये.

(ब) यह सुनिश्चित किया जावे कि 5000 वर्ग मीटर आकार स्वीकृत अभिन्यास का भाग होगा जिससे अनौपचारिक वर्ग के प्रावधान के साथ नगर स्तरीय समन्वित परिभ्रमण तथा वृत्तखण्ड/उपखण्ड हेतु आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिये

(द) भवन की अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये ऐसी अवस्था में जब भू-तल पर आच्छादित पार्किंग के लिये उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊंचाई 14.5 मीटर होगी.

(इ) ऐसे स्थल से लगी सड़क की ऊंचाई न्यूनतम 24 मीटर से कम नहीं होगी.

(फ) ऐसे विकास हेतु सिमांत खुला क्षेत्र निम्नानुसार होगा:—

अग्रभाग न्यूनतम 6.0 मीटर बाजू का भाग न्यूनतम 4.5 मीटर पिछला भाग न्यूनतम 4.5 मीटर.

(स) अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर होगी.

(ह) फर्शी क्षेत्रानुपात अधिकतम 1.25 होगा

(ई) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 32 के अनुसार आवासीय इकाई आकार तथा आवासीय इकाईयों की गणना की जावे.

(1)

(2)

(3)

6. 4.4.3 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण :
12 मीटर से ऊंचे भवनों को बहुमंजिले भवन की श्रेणी में माना जावेगा ऐसे विकास का स्वरूप भिन्न होता है:

- (1) भूखण्ड का आकार 2000 वर्ग मीटर से कम नहीं.
- (2) मार्गों की ओर भूखण्ड चौड़ाई 30 मीटर न्यूनतम.
- (3) मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर से कम नहीं.
- (4) अग्र सीमांत खुला क्षेत्र प्रस्तावित भवन की कम से कम उंचाई का 1/2.
- (5) बाजू एवं पार्श्व सीमांत खुला क्षेत्र 6.0 मीटर न्यूनतम.
- (6) सीमांत खुला क्षेत्र अग्नि शमन वाहनों आदि के संचालन हेतु रूकावट मुक्त रखा जावेगा.
- (7) फर्शी क्षेत्रानुपात 2.50. (अधिकतम)
- (8) कार पार्किंग के प्रावधान सारणी क्रमांक 4 सा 16 के अनुरूप रहेंगे.
- (9) निर्माण रूपांकन अग्निशमन उपकरण एवं तत्संबंधी प्रावधान जल प्रदाय, जल, जल निकास व्यवस्था इत्यादि म. प्र. भूमि विकास नियम, 1984 के अनुरूप रहेंगे.
- (10) बहुमंजिले भवनों के निर्माण के पूर्व सर्व प्रथम म. प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के अन्तर्गत गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा. उसके उपरान्त भवन निर्माण के लिये सक्षम प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में उक्त हेतु अनुमति दे सकेगा.
- (11) विमान तल के निकट भवनों की अधिकतम उंचाई विमानन विभाग के मापदण्डों से नियंत्रित होगी.
- (12) यह प्रावधान सभी प्रकार के भू-उपयोगों हेतु लागू होंगे. भवन की उंचाई 12 मीटर से अधिक होने पर किसी भी परिक्षेत्र में किसी विशिष्ट उपयोग हेतु अन्य कोई प्रावधान लागू नहीं माने जावेंगे (म. प्र. भूमि विकास नियम 1984 का अवलोकन हो).

7. 4.5 वन आवास

विकास योजना में प्रस्तावित विकासित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि क्षेत्र के कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं कृषि फार्म संबंधी अन्य गतिविधियां आच्छादित क्षेत्र आदि के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है.

4.43 उंचे भवनों का निर्माण

उंचे भवनों हेतु म. प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 एवं सहपठित नियम 12 के प्रावधान मान्य होंगे, किन्तु 30.0 मीटर तथा अधिक ऊंचाई के भवनों के लिये एफएआर की अधिकतम सीमा 2.5 होगी.

4.5 फार्म हाउस अनुज्ञा

फार्म हाउस की अनुज्ञा हेतु. म. प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 के प्रावधान मान्य होंगे.

(1)

(2)

(3)

इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:—

- (1) भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्ग मीटर होगा.
- (2) अधिकतम निर्मित क्षेत्र 5: होगा
- (3) अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा.
- (4) ढलुवा छत सहित (निर्माण) की अधिकतम उंचाई 6.5 मीटर होगी व मंजिलों की संख्या भूतल व प्रथम तल से अधिक नहीं होगी.
- (5) वन आवास के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर प्राधिकारी को भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण करना होगा जिसका विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का होगा.
- (6) वन आवास केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा जिसके लिये सार्वजनिक मार्ग (सड़क) द्वारा पहुंच उपलब्ध हो अथवा या क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो.
- (7) वन आवास में सभी ओर से न्यूनतम 10.0 मीटर खुला क्षेत्र होगा.
- (8) किसी भी कृषि भूमि का भू-स्वामी उक्त मापदण्डों के अनुरूप वन आवास के रूप में विकसित करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा.
- (9) कृषि भूमि उपयोग में वन आवास निर्माण हेतु 0.4 हेक्टर क्षेत्रफल से कम भूमि उप विभाजन हेतु स्वीकार्य नहीं होगी.

8. थोक वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक :

सारणी क्रमांक 4 सा 6

क्र. (6) विराम स्थल - 1.5 कार स्पेस प्रति 100 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र के ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र.

9. 4.8.2 ईंधन भराव एवं भराव-सह सेवा केन्द्र पेट्रोल सेवा केन्द्रों के लिये निम्न नियमन अनुशंसित है:—

1. मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी

(अ) 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्ग 150 मीटर.

(ब) 30 मीटर अथवा इससे अधिक राईट आफ वे वाले मुख्य मार्गों हेतु (चौड़ाई) 250 मीटर.

थोक वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक :

सारणी क्रमांक 4 सा 6

क्र (6) विराम स्थल म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप मान्य होंगे.

4.8.2 ईंधन भराव एवं भराव-सह सेवा केन्द्र

ईंधन भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मापदण्ड म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3) (चार) के अनुरूप मान्य होंगे.

(1)

(2)

(3)

2. मार्गों के मध्य से पेट्रोल पम्प पेडस्ट्रल की दूरी भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार होना आवश्यक है.
3. न्यूनतम भूखण्ड आकार
 - (अ) केवल ईंधन भराव सह सेवा केन्द्र न्यूनतम आकार 30×17 मीटर.
 - (ब) ईंधन भराव सह सेवा केन्द्र न्यूनतम आकार 30×36 मी. एवं अधिकतम 45×33 मीटर.
 - (स) भूखण्ड का अग्रभाग 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए.
 - (द) भूखण्ड का लम्बा भाग अग्र भाग होगा.
4. 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गों पर नये पेट्रोल पम्प निषिद्ध होंगे.

10

4.8.3. छबिगृहों के लिये मापदण्ड मार्ग चौड़ाई—
छबिगृह का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी.
विराम स्थल—सीमान्त खुले क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र का 1.67 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्गमीटर अथवा एफ ई.सी.एस. प्रति 150 कुर्सियों के लिये इनमें जो भी कम हो.
आवश्यक क्षेत्र—2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जावें.
भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र—बैठक क्षमता 800 सीट तक के लिये अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा एवं उससे अधिक क्षमता के छबिगृहों के लिये अधिकतम 33 प्रतिशत. सेट बेक
सामने—न्यूनतम 15 मीटर.
आजू/बाजू—न्यूनतम 4.5 मीटर/4.5 मीटर

11

- होटल हेतु मापदण्ड :
3. अधिकतम ऊंचाई 12.0 मीटर

4.8.3. छबिगृहों के लिये मापदण्ड—

छबिगृहों के लिये मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 53 (3)(दो) के अनुरूप होंगे.

होटल हेतु मापदण्ड :

3. अधिकतम ऊंचाई 12.0 मीटर—

12.5 मीटर से ऊंचे होटल हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42(1) अथवा 42(2) के प्रावधान लागू होंगे.

12.5 मीटर से ऊंचे भवनों के लिये निर्धारित मापदण्ड अनुसार स्वीकृति उन्हीं भूमि उपयोग के अन्तर्गत दी जावेगी जिसमें होटल स्वीकृत/स्वीकार्य योग्य गतिविधियों के रूप में मान्य हो.

(1)	(2)	(3)
12	4.9 औद्योगिक विकास मानक : 4.9.1 अभिन्यास के मानक— औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार होंगे:— 1. भूखण्ड का क्षेत्र—अधिकतम 65 प्रतिशत 2. मार्गों, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र अधिकतम 25 प्रतिशत. 3. दुकानें एवं अन्य सेवा सुविधाएं—न्यूनतम 10 प्रतिशत. औद्योगिक क्षेत्रों हेतु आच्छादित क्षेत्र, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं खुले क्षेत्र सारणी क्रमांक 4-सा-7 के प्रावधान सारणी के विवरण सहित.	4.9 औद्योगिक विकास मानक : औद्योगिक क्षेत्र के विकास मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 48 के अनुरूप होंगे.
13	सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड— संबंधी सारणी 4 सा 10 के प्रावधान सारणी के विवरण सहित.	सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड— सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 49 (1) अनुसार मान्य होंगे. 12.5 मीटर से ऊंचे भवनों के लिये मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42(1) एवं 42 (2) अनुसार स्वीकृत किये जा सकेंगे.
14	4.14 वाहन विराम हेतु मानक : उज्जैन : पार्किंग मानक सारणी 4-सा-17 का प्रतिस्थापन.	4.14 वाहन विराम हेतु मानक : उज्जैन : पार्किंग मानक सारणी 4-सा-17 वाहन विराम हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 84 अनुसार मान्य होंगे.
15	4.15 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन— नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम-से-कम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार होगा.	4.15 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन ऐसे क्षेत्र जो किसी ऐसे नदी नाला एवं सार्वजनिक तालाबों के किनारे हैं तथा उनको विकास योजना में अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत चिन्हित नहीं किया गया है वहां नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुसार होगा.
16	4.17 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति : सारण 4-सा-18 अनुक्रमांक 1 कालम 4 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के अन्तर्गत जोन आर-2. सारणी 4-सा-18 अनुक्रमांक 7 कालम 4 में दुग्ध जलशीत केन्द्र सेवाएँ.	4.17 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति : सारणी 4-सा-18 अनुक्रमांक 1 कालम 4 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 37 (1) के अन्तर्गत जोन आर-2 अनुसार गतिविधियां मान्य होगी. सारणी 4-सा-18 अनुक्रमांक 2 कालम 3 में बस स्थानक के पश्चात् अंतःस्थापन “शापिंग माल/खुला माल (भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 (1) अनुसार) नियम 2 (46), 2 (66) के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय होगा”.

(1)	(2)	(3)
		सारणी 4-सा-18 अनुक्रमांक 7 कालम 4 में "दुग्ध जलशीत केन्द्र सेवाएँ एवं कोल्ड स्टोरेज". सारणी 4-सा-18 अनुक्रमांक 4 कॉलम 3 में "सूचना प्रौद्योगिकी*, एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग***" सारणी 4-सा-18 अनुक्रमांक 7 कॉलम 3 में "सूचना प्रौद्योगिकी*, एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत हों.

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

क्रमांक (1)	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान (2)	उपांतरण पश्चात् उपांतरित प्रावधान (3)
17	4.18 निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया:— विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदक को विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होगी. पृष्ठ क्रमांक 101 एवं 102 पर बिन्दु क्रमांक 1 से 15 एवं टीप 1 एवं 2 का प्रतिस्थापन.	4.18 विकास निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया:— विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदक को विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होंगी. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार के अनुसार विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी.
18	4.19 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया:— मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 की धारा 49 (3) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी:— 1. परिशिष्ट-1 (अ) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र. 2. प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हो. 3. अद्यतन खसरा पांचसाला एवं खसरा खितौनी.	4.19 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया:— विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया— मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 की धारा 49 टिप्पणी 4 के अनुसार होगी.

(1) (2) (3)

4. आवेदन केवल भू-स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जावेगा. अन्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा. जब आवश्यक हो भूमि का पंजीकरण प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत हों.

19 अध्याय-5

भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है.

अध्याय-5

भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

मुलताई विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1175-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मुलताई विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, नर्मदापुरम, संभाग होशंगाबाद.
2. कलेक्टर, जिला बैतूल.
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बैतूल.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मुलताई विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि	6 6	सारणी 6-सा-14 सारणी 6-सा-14	4 7	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में “मध्यप्रदेश राजपत्र” में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 7 फरवरी 2018

क्र. क-व.लि.-2018-1048.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-1 के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3/23/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, दीपक सिंह, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर वर्ष 2018 के लिये बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में 03 (तीन) स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY) घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	त्यौहार (4)
1	24-9-2018	सोमवार	अनंत चतुर्दशी का दूसरा दिन (सम्पूर्ण जिला)
2	18-10-2018	गुरुवार	महानवमी (सम्पूर्ण जिला)
3	8-11-2018	गुरुवार	दीपावली का दूसरा दिन (पड़वा) (सम्पूर्ण जिला)

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

दीपक सिंह, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.—01—अ—82—2017—2018

अलीराजपुर दिनांक 07 नवम्बर 2017

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में छोटा उदयपुर-धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम कोलियाबयड़ा तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

—:: अनुसूची (01) ::—

ग्राम कोलियाबयड़ा		तहसील जोबट		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	निजी भूमि	7.897	17.033	24.930

—:: अनुसूची (02) ::—

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	जालम पिता सोमला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1302	1.090	0.000	1.090	0.570	0.000	0.570
2	रमेश पिता झीन्डीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1303/1/1	0.140	0.000	0.140	0.140	0.000	0.140
3	धनसिंह पिता झीन्डीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1303/1/2	0.330	0.000	0.330	0.155	0.000	0.155
4	रमेश पिता झीन्डीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1303/1/3	0.270	0.000	0.270	0.112	0.000	0.112
5	माधु पिता झीन्डीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1303/1/4	0.230	0.000	0.230	0.162	0.000	0.162
6	भुरली बेवा राजेन्द्र जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1303/1/5	0.180	0.000	0.180	0.094	0.000	0.094
7	जालम पिता सोमला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1303/2	0.550	0.000	0.550	0.059	0.000	0.059
8	धनसिंह पिता झीन्डीया जाति भील पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1318/1/1	0.000	0.200	0.200	0.000	0.060	0.060
9	रमेश पिता झीन्डीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1318/1/2	0.000	0.160	0.160	0.000	0.071	0.071
10	भुरली बेवा राजेन्द्र जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1318/1/3	0.000	0.070	0.070	0.000	0.066	0.066
11	माधु पिता झीन्डीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1318/1/4	0.000	0.120	0.120	0.000	0.106	0.106
12	भुरली बेवारजेन्द्र जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1318/1/5	0.000	0.180	0.180	0.000	0.043	0.043
13	माधु पिता झीन्डीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1318/1/6	0.000	0.120	0.120	0.000	0.006	0.006
14	भुरसिंह पिता वेस्ता रुपसिंह पिता मदनमंगलिया अनसिंह नाहरसिंह पिता मन्ना जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1317	0.740	0.000	0.740	0.526	0.000	0.526
15	भुरसिंह पिता वेस्ता रुपसिंह पिता मदनमंगलिया अनसिंह नाहरसिंह पिता मन्ना जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1316	0.460	0.000	0.460	0.288	0.000	0.288

16	भुरसिंह पिता वेस्ता रुपसिंह पिता मदनमंगलिया अनसिंह नाहरसिंह पिता मृत्रा जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1315	0.380	0.000	0.380	0.004	0.000	0.004
17	भुरसिंह पिता वेस्ता रुपसिंह पिता मदनमंगलिया अनसिंह नाहरसिंह पिता मृत्रा जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1314	0.000	2.300	2.300	0.000	0.843	0.843
18	जोगडिया, कर्मा, पिता गबल धनसिंह, केहरिया, सनिया पिता कबतिया प्रेमबाई बेवा कबरिया वालसिंह अबला पिता मितु जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1323	0.000	1.160	1.160	0.000	0.509	0.509
19	भुरसिंह पिता वेस्ता रुपसिंह पिता मदनमंगलिया अनसिंह नाहरसिंह पिता मृत्रा जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1313	0.000	0.300	0.300	0.000	0.019	0.019
20	भुरसिंह पिता वेस्ता रुपसिंह पिता मदनमंगलिया अनसिंह नाहरसिंह पिता मृत्रा जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1324	0.550	0.000	0.550	0.175	0.000	0.175
21	जोगडिया, कर्मा, पिता गबल धनसिंह, केहरिया, सनिया पिता कबतिया प्रेमबाई बेवा कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1328	0.080	0.000	0.080	0.080	0.000	0.080
22	घनसिंह पिता बालसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1329	1.050	0.000	1.050	0.407	0.000	0.407
23	रतनसिंह पिता बालसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1330	0.460	0.000	0.460	0.091	0.000	0.091
24	जोगडिया, कर्मा, पिता गबल धनसिंह, केहरिया, सनिया पिता कबतिया प्रेमबाई बेवा कबरिया वालसिंह अबला पिता मितु जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1327	0.820	0.000	0.820	0.366	0.000	0.366
25	जोगडिया, कर्मा, पिता गबल धनसिंह, केहरिया, सनिया पिता कबतिया प्रेमबाई बेवा कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1351	0.110	0.000	0.110	0.110	0.000	0.110
26	ज्ञानसिंह पिता बालसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1350	0.780	0.000	0.780	0.121	0.000	0.121
27	जोगडिया, कर्मा, पिता गबल धनसिंह, केहरिया, सनिया पिता कबतिया प्रेमबाई बेवा कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1348	0.000	0.750	0.750	0.000	0.370	0.370
28	मांगत्या रुपसिंह पिता हेमता व वेस्ती बेवा हेमता ज्ञानसीग पिता नाहरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1347	0.000	0.530	0.530	0.000	0.078	0.078
29	मांगत्या रुपसिंह पिता हेमता व वेस्ती बेवा हेमता ज्ञानसीग पिता नाहरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1346	0.000	0.300	0.300	0.000	0.300	0.300
30	मांगत्या रुपसिंह पिता हेमता व वेस्ती बेवा हेमता ज्ञानसीग पिता नाहरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1345	0.000	0.450	0.450	0.000	0.026	0.026
31	वेस्ता पिता कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1359	0.000	1.900	1.900	0.000	1.458	1.458
32	वेस्ता पिता कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1358	1.300	0.000	1.300	0.108	0.000	0.108
33	वेस्ता पिता कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1360	0.000	1.180	1.180	0.000	0.029	0.029
34	वेस्ता पिता कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1362	2.040	0.000	2.040	0.009	0.000	0.009
35	किसनीया पिता गमरीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1214/1	0.000	0.490	0.490	0.000	0.265	0.265
36	नानका मेहरसिंह पिता गमरीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1214/2	0.000	0.560	0.560	0.000	0.084	0.084
37	नानका मेहरसिंह पिता गमरीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1216/1	0.000	0.430	0.430	0.000	0.235	0.235
38	जुवानसिंह भंवरसिंह पित खेमा जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1216/2	0.000	0.470	0.470	0.000	0.208	0.208
39	भंगडा पिता नानसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1217	0.000	1.040	1.040	0.000	0.210	0.210

40	भूवर पिता जामसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1218/1	0.000	0.370	0.370	0.000	0.137	0.137
41	बालसिंह धनसिंह पिता बालु लोहगु पती बालु भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1218/2	0.000	0.380	0.380	0.000	0.380	0.380
42	रायसिंह पिता मलेशिंह गंदा बेवा मुलेशिंह प्रकाश भंगडी केकडी पिता कुंवरसिंह ना0बा0स0प्र0 माता वेस्ती व वेस्ती बेवा कुंवरसिंह जोगडी पिता मोतीसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भुरला मेरसिंह पिता केकडीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1204	0.000	0.340	0.340	0.000	0.283	0.283
43	रायसिंह पिता मलेशिंह गंदा बेवा मुलेशिंह प्रकाश भंगडी केकडी पिता कुंवरसिंह ना0बा0स0प्र0 माता वेस्ती व वेस्ती बेवा कुंवरसिंह जोगडी पिता मोतीसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भुरला मेरसिंह पिता केकडीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1203	0.000	0.320	0.320	0.000	0.367	0.367
44	अनवाई पति डूंगर सिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1202	0.000	0.800	0.800	0.000	0.033	0.033
45	किशन भुर थाकतिया पिता मोहकिया नानसिंह भुवान कलम ठाकुर पिता जेराम जानु बैवा जेराम जालम नानका पिता नन्दु जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1190	2.340	0.000	2.340	1.028	0.000	1.028
46	किशन भुर ढाकतिया पिता मोहकिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी नानसिंह भुवान कलम ठाकुर पिता जेराम जानु बैवा जेराम जालम नानका पिता नन्दु जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1191	0.000	0.550	0.550	0.000	0.550	0.550
47	रायसिंह पिता मलेशिंह गंदा बेवा मुलेशिंह प्रकाश भंगडी केकडी पिता कुंवरसिंह ना0बा0स0प्र0 माता वेस्ती व वेस्ती बेवा कुंवरसिंह जोगडी पिता मोतीसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भुरला मेरसिंह पिता केकडीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1192	0.000	0.540	0.540	0.000	0.068	0.068
48	दिलीप भारत वेस्ती खजरी जानकी पिता केकडिया व कमली बेवा केकडिया व नानका लालसिंह पिता जुवानसिंह व अवाई बेवा जुवानसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1180	3.670	0.000	3.670	0.444	0.000	0.444
49	अजेसिंह बाहदर मधु सागरसिंह पिता रकसिंह ववानु बैवा रकसिंह व सुमला पिता धनसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी लंगडा,दिनु पिता मोहनसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1179	0.260	0.000	0.260	0.260	0.000	0.260
50	दिलीप भारत वेस्ती खजरी जानकी पिता केकडिया व कमली बेवा केकडिया व नानका लालसिंह पिता जुवानसिंह व अवाई बेवा जुवानसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1178	0.000	0.650	0.650	0.000	0.391	0.391
51	रायसिंह पिता मलेशिंह गंदा बेवा मुलेशिंह प्रकाश भंगडी केकडी पिता कुंवरसिंह ना0बा0स0प्र0 माता वेस्ती व वेस्ती बेवा कुंवरसिंह जोगडी पिता मोतीसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भुरला मेरसिंह पिता केकडीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1170/1	0.000	0.720	0.720	0.000	0.061	0.061
52	गुलखा पति सोमला जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1170/2	0.000	0.360	0.360	0.000	0.360	0.360
53	रायसिंह पिता मलेशिंह गंदा बेवा मुलेशिंह प्रकाश भंगडी केकडी पिता कुंवरसिंह ना0बा0स0प्र0 माता वेस्ती व वेस्ती बेवा कुंवरसिंह जोगडी पिता मोतीसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भुरला मेरसिंह पिता केकडीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1506	0.500	0.000	0.500	0.412	0.000	0.412
54	अलपसिंह पिता बाकला जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1505	0.550	0.000	0.550	0.354	0.000	0.354

55	अजैसिंह बाहदर माधु सागरसिंह पिता रकसिंह ववानु बेवा रकसिंहव सुमला पिता धनसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी मिठा,दिनु, पिता मोहनसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1503	0.910	0.000	0.910	0.687	0.000	0.687
56	जुवानसिंह कलमसिंह पिता भुवान सुमला सेकु छितू बटू अमरसिंह पिता रामसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1510	0.000	0.400	0.400	0.000	0.092	0.092
57	गमती पिता मोहनसिंह व फुन्दी बेवा मोहनसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1511	0.000	0.250	0.250	0.000	0.250	0.250
58	जुवानसिंह कलमसिंह पिता भुवान सुमला सेकु छितू बटू अमरसिंह पिता रामसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1512	0.000	0.370	0.370	0.000	0.272	0.272
59	लालसिंह शकरसिंह पिता रीछु व कमरु अमरु सरिता अंगू थावली बेवा ठाकुरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1495	0.850	0.000	0.850	0.640	0.000	0.640
60	जालमसिंह सालम दुकालसिंह पिता वेस्ता व साहबाई बेवा वेस्ता जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1494	0.000	0.450	0.450	0.000	0.329	0.329
61	गमती पिता मोहनसिंह व फुन्दी बेवा मोहनसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1493	0.000	0.410	0.410	0.000	0.349	0.349
62	जुवानसिंह कलमसिंह पिता भुवान सुमला सेकु छितू बटू अमरसिंह पिता रामसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1492	0.000	0.840	0.840	0.000	0.483	0.483
63	जुवानसिंह कलमसिंह पिता भुवान सुमला सेकु छितू बटू अमरसिंह पिता रामसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1491	0.000	0.280	0.280	0.000	0.259	0.259
64	सरदार बालु पिता जुवानसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1488	0.000	0.340	0.340	0.000	0.098	0.098
65	वेस्तास पिता भूरुला जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1487	0.000	0.280	0.280	0.000	0.004	0.004
66	मांगत्या पिता रतनसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1486/1	0.000	0.320	0.320	0.000	0.306	0.306
67	रतनसिंह पिता मोहनसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1486/2	0.000	0.370	0.370	0.000	0.352	0.352
68	जालमसिंह सालम दुकालसिंह पिता वेस्ता व साहबाई बेवा वेस्ता जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1485	0.000	0.600	0.600	0.000	0.175	0.175
69	लालसिंह शकरसिंह पिता रीछु व कमरु अमरु सरिता अंगू टीना भूरा पिता ठाकुरसिंह व थावली बेवा ठाकुरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1483	0.000	0.470	0.470	0.000	0.344	0.344
70	केशरसिंह,मजेसिंह,मुकाम पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1482	0.000	0.230	0.230	0.000	0.218	0.218
71	गुलाबसिंह पिता नाथिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1481	0.500	0.000	0.500	0.004	0.000	0.004
72	जालमसिंह जोगडिया पिता रतनसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1465	0.000	0.500	0.500	0.000	0.051	0.051
73	जुवानसिंह कलमसिंह पिता भुवान सुमला सेकु छितू बटू अमरसिंह पिता रामसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	1466	0.000	0.450	0.450	0.000	0.450	0.450
74	जालमसिंह जोगडिया मांगत्या पिता रतनसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1467	1.040	0.000	1.040	0.491	0.000	0.491
75	गुलाबसिंह पिता नाथिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1479	0.000	0.310	0.310	0.000	0.061	0.061
76	केशरसिंह,मजेसिंह,मुकाम पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी प्यारा बेवा भुरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1478	0.000	0.340	0.340	0.000	0.338	0.338
77	वेस्ता पिता दलिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1477	0.000	0.440	0.440	0.000	0.332	0.332
78	दुडला दुंगरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1474	0.000	0.690	0.690	0.000	0.329	0.329

79	फुसला पिता हमका जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1473	0.000	0.230	0.230	0.000	0.230	0.230
80	जोगडिया पिता हिरला जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1472	0.000	0.790	0.790	0.000	0.665	0.665
81	दसरीया पिता हमका जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1470	0.000	0.350	0.350	0.000	0.029	0.029
82	खुमसिंह पिता हमका जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1469	0.000	0.380	0.380	0.000	0.029	0.029
83	धनसिंह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1625	0.000	0.620	0.620	0.000	0.010	0.010
84	धनसिंह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1626	0.000	0.450	0.450	0.000	0.399	0.399
85	धनसिंह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1627	0.000	0.200	0.200	0.000	0.200	0.200
86	धनसिंह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1629	0.000	0.700	0.700	0.000	0.633	0.633
87	धनसिंह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1630	0.000	0.070	0.070	0.000	0.009	0.009
88	धनसिंह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1639	0.000	0.100	0.100	0.000	0.054	0.054
89	धनसिंह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1640	0.000	0.170	0.170	0.000	0.166	0.166
90	कुंवरसिंह भेरुसिंह खेमसिंह नवलसिंह केशरी पिता अमरसिंह व भंगडी बेवा अमरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1624	0.000	0.200	0.200	0.000	0.186	0.186
91	वेस्ता पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1621	0.000	0.260	0.260	0.000	0.086	0.086
92	धनसिंह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1620	0.000	0.230	0.230	0.000	0.162	0.162
93	धनसिंह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1618	0.000	0.220	0.220	0.000	0.220	0.220
94	छगन पिता गुलसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1617	0.000	0.360	0.360	0.000	0.332	0.332
95	अजलिया पिता सुरता जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1616/1	0.000	0.170	0.170	0.000	0.109	0.109
96	केमता केरमसिंह वेस्ता मुकाम पिता पदम जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1616/2	0.000	0.170	0.170	0.000	0.147	0.147
97	केहरीया पिता सुरता जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1616/3	0.000	0.200	0.200	0.000	0.131	0.131
98	दुडला डुंगरसिंह पिता पहाडसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1604	0.000	0.350	0.350	0.000	0.089	0.089
99	वेस्ता,दिलिपसिंह पिता किशन जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1597	0.000	0.270	0.270	0.000	0.160	0.160
100	अजलिया पिता सुरता जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	1596/1	0.000	0.350	0.350	0.000	0.279	0.279
योग:-			22.180	32.920	55.100	7.897	17.033	24.930

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-59-अ-82-17-18-1281

सागर, दिनांक 30 जनवरी 2018

मौजा आमोदा बिलगुंवा पट.ह.नं.- 05 तहसील देवरी

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा (गौरझामर) नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा (गौरझामर) नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : आमोदा बिलगुंवा
 4. पट.ह.नं.- : 08
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.001 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमति सविता देवी पति कृष्णकुमार साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	78/1	1.460	0.072	
2	कृष्णकुमार पिता जगदीश प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	78/2	0.800	0.072	
3	अक्षय नाबालिग वल्द रामकुमार पूनम नाबालिग पुत्री रामकुमार वली आज्ञा जगदीश वल्द नर्मदाचरण साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	77	2.210	0.176	
4	जगदीश प्रसाद वल्द नर्मदाचरण साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	76/1	0.610	0.292	
5	इमरत पिता अर्जुन साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	76/2	0.810	0.292	
6	श्री. देवलक्ष्मीनारायणजी मुह. वामनराव मधुकर मकुन्दराव पिता रामचंद्रराव अरुणकुमार काशीनाथ पिता विश्वनाथराव दिनकरराव वल्द बालकृष्णराव श्रीपाल वल्द गजाननराव भागचंद केशनारायण अनंतराम पिता पुरुषोत्तम धनंजय आत्माराम पिता केशोराम गोविन्द चिन्तामनराव पिता बलीराम भोपाल नरहरी भास्करराव पिता वासुदेव रामबाई वेवा वासुदेव प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर	भूमिस्वामी	75	1.750	0.154	
7	प्रभुदयाल वल्द श्रीकृष्ण, गिरिशकुमार वल्द केदारनाथ साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	73/1	0.090	0.029	
8	मुन्नीबाई जोजे देशशरण साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	71	1.700	0.088	
		भूमिस्वामी	73/2	0.400	0.029	
9	वृन्दावन वल्द परसादी साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	73/3	0.390	0.029	

10	दलपत वृन्दावन कच्छेदी पिता परसादी साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	73/4	0.010	0.010
11	नदकिशोर पिता अर्जुन साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	70	1.450	0.913
12	मुलाम पिता जयराम साकिन मढ़ी जमुनिया	भूमिस्वामी	20	1.390	0.164
		भूमिस्वामी	21/2	0.620	0.054
13	जनकरानी वेवा जयराम साकिन मढ़ी जमुनिया	भूमिस्वामी	21/1	0.690	0.054
14	जनकरानी वेवा जयराम साकिन मढ़ी जमुनिया	भूमिस्वामी	27/1	1.320	0.256
15	महेश प्रसाद वल्द नर्मदा प्रसाद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	23/1	1.720	0.095
16	देवेश कुमार वल्द महेश कुमार साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	23/2	1.710	0.037
17	परम लक्ष्मण पिता टीकाराम कमलाबाई पुत्री टीकाराम पार्वती वेवा टीकाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	27/2	0.810	
18	हरीसींग वल्द कड़ोरी साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	27/3	0.470	0.037
19	प्रहलाद वल्द बाबूलाल साकिन मढ़ी जमुनिया	भूमिस्वामी	27/4	1.210	0.037
20	रतनसींग वल्द जयराम साकिन देह	भूमिस्वामी	27/5	0.400	0.037
21	रतनसींग वल्द जयराम साकिन देह	भूमिस्वामी	27/6	1.620	0.037
22	चन्द्रभान वल्द जयराम साकिन मढ़ी जमुनिया	भूमिस्वामी	27/7	2.020	0.037
योग:-			24	25.660	3.001

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-60-अ-82-17-18-1282

मौजा भजिया पट.ह.नं.- 07 तहसील देवरी

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत पटनाखुर्द मायनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत पटनाखुर्द माइनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : भजिया
 4. पट.ह.नं.- : 07
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.480 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री हरिनारायण वल्द छोटेला साकिन देह	भूमिस्वामी	252/7	0.800	0.020	
2	वतीबाई पुत्री बैजनाथ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	252/6	0.200	0.020	
3	श्री उदयराम, रूपसींग, परसराम वल्द बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	252/5	0.900	0.050	
4	श्री परषोत्तम वल्द बैजनाथ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	259/1	0.360	0.040	
		भूमिस्वामी	260/1	1.240	0.030	
5	श्रीमति बेनीबाई वेवा बलराम, कलाबाई, हरीबाई, मुलाबाई, रतीबाई, नर्बदीबाई पुत्री बलराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	260/299	0.420	0.030	
6	श्री तरवरसींग, निजामसींग, हरिनारायण पिता छोटेला साकिन पटनाखुर्द भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	257/1	0.300	0.030	
7	श्री हुकमसींग, यशवंतसींग पिता मदनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	256	0.070	0.030	
		भूमिस्वामी	265	0.480	0.050	
8	श्री कन्हेदी वल्द रामचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	256/298	0.530	0.070	
9	श्री मुल्ली वल्द कनई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	266	1.210	0.020	
10	श्री रोशन वल्द हीरालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	267/2	0.450	0.050	

1-	श्रीमति जनकदुलारी जोजे हीरालाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	268	0.390	0.040
	योग:-		13	7.35	0.48

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-61-अ-82-17-18-1278

मौजा फतेहपुर पट.ह.नं.- 08 तहसील देवरी

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : फतेहपुर
 4. पट.ह.नं.- : 08
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.859 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल एकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (एकवा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	खुमान वल्द नाथूराम साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	130	0.670	0.019	
2	रमेश प्रेमसींग पिता हरीराम, शीलाबाई वेवा हरीराम सा. देह	भूमिस्वामी	124/1	1.580	0.047	
3	टीकाराम वल्द हिम्मत, डेलन दीपक पिता भगवत दमोती नूमा माया, द्रोपती पुत्री भगवत बैजयंती उर्फ कमलरानी वेवा भगवत मालतीबाई काशीबाई पुत्री हिम्मत साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	124/2	0.090	0.047	
4	प्रेमसींग वल्द हरिराम साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	124/3	0.600	0.047	
5	गीताबाई पति लक्ष्मीशंकर साकिन सरखेड़ा	भूमिस्वामी	124/4	0.010	0.010	
6	आरतीबाई वेवा विजय साकिन सागर	भूमिस्वामी	124/5	0.010	0.010	
7	द्वारका बबलू प्रकाश उदयभान पिता बैजनाथ पर्वतीबाई इमरतीबाई पुत्री बैजनाथ सुनील नाबालिग पिता बद्रीप्रसाद लक्ष्मीबाई नाबालिग पुत्री बद्रीप्रसाद वली माँ संतोषरानी वेवा बद्रीप्रसाद	भूमिस्वामी	134	1.550	0.001	
8	गोपाल वल्द गिरधारी साकिन देह	भूमिस्वामी	135/1	0.540	0.001	
9	मोहन वल्द गिरधारी साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	135/2	0.550	0.001	
10	राजू वल्द गिरधारी साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	135/3	0.550	0.001	
11	राजकुमार वल्द खुमान सिंह साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	123/1	0.490	0.048	
12	खुमान वल्द नाथूराम साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	123/2	1.010	0.048	
13	धरमदास वल्द खुमान साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	123/3	1.010	0.048	
14	गोकल महेश प्रदीप शैलेन्द्र पिता गोविन्द प्रसाद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	140	0.410	0.043	
15	बेनीबाई धरमाबाई मालतीबाई पिता दरई संतोष वल्द हेमराज पुष्पा आशा पिता हेमराज दीपक दिनेश पिता घनश्याम साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	139	1.620	0.083	
16	लक्ष्मीप्रसाद वल्द भगवानदास गोकल महेश प्रदीप शैलेन्द्र पिता गोविन्द साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	148	0.950	0.080	
17	हेमचंद वल्द शिखरचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	149/1	1.270	0.031	
18	राकेश कुमार वल्द शिखरचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	149/2	0.400	0.031	
19	राहुल कुमार वल्द राकेश कुमार साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	150	2.050	0.258	
20	टीकाराम ओंकार पिता कच्छेदी सावित्री मैना इमरती कुसुम पुत्री कच्छेदी साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	151	0.490	0.025	
21	टीकाराम वल्द मन्नू साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	152	0.630	0.076	
22	परशोत्तम चन्द्रभान पिता देवीसींग साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	171	1.130	0.152	
23	देवी वल्द नाथूराम साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	172	0.380	0.044	
24	माधोप्रसाद देवीप्रसाद पिता टीकाराम चन्द्रभान भगवानदास पिता वंशी साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	168/1	0.040	0.003	
25	माधोप्रसाद पिता टीकाराम साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	168/4	0.800	0.003	
		भूमिस्वामी	168/6	0.260	0.003	
	जगदीश पिता वंशीधर साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	168/2	1.200	0.003	
27	दुर्गा वल्द वंशीधर साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	168/3	1.200	0.003	
28	प्रहलाद वल्द टीकाराम साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	168/5	0.800	0.003	
29	देवी वल्द गिरधारी, राजबाई बेनीबाई पुत्री गिरधारी गुलाबरानी वेवा गिरधारी इन्दुर वाली हेमराज दिन्नू हल्ले पिता अनन्तसींग गुडडी दशोदा पुत्री अनन्तसींग राजरानी वेवा अनन्तसींग सियारानी वेवा खेतसींग मैना मालती पुत्री खेतसींग परमू मोहन परशोत्तम रज्जू पिता खेतसींग खेमाबाई वेवा दुर्गे गजेन्द्र ओमप्रकाश पिता दुर्गे साकिन देह	भूमिस्वामी	70	1.720	0.180	

30	अमित कुमार वल्द रमेश कुमार साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	71/1	0.880	
31	अरविन्द, दीपक पिता काशीनाथ अर्चना पुत्री काशीनाथ साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	71/2	0.810	0.110
32	रामदास वल्द भुवानी प्रसाद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	74	0.420	0.060
33	भुवानी वल्द गुलाबसींग साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	75	0.880	0.080
34	देवी वल्द गिरधारी, राजबाई बेनाबाई पुत्री गिरधारी गुलाबरानी वेवा गिरधारी बलराम पिता मुन्ना हेमराज दिन्नू इन्दुर वाली हल्ले पिता अनन्तसींग गुडडी दशोदा पुत्री अनन्तसींग राजरानी वेवा अनन्तसींग साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	76/1	0.890	0.120
35	कैलाशचंद वल्द सुम्मेरचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	76/2	0.440	
36	सियारानी वेवा खेतसींग मैना मालती पुत्री खेतसींग परमू मोहन परषोत्तम रज्जू पिता खेतसींग खेमाबाई वेवा दुर्गे गजेन्द्र ओमप्रकाश पिता दुर्गे अशोक कुमार वल्द मुलामचंद भुवानीप्रसाद वल्द गुलाबसींग साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	77	1.460	0.100
37	नारायण श्रीराम काशीराम पिता तुलसीराम भारीबहू वेवा तुलसीराम बृजरानी वेवा गुलाबसींग कुन्दनसींग गुदली पिता तुलसीराम प्यारीबाई पुत्री गुलाबसींग साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	78	0.060	0.030
38	काशीनाथ वल्द विश्वनाथ साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	79	1.650	0.010
योग:-			39	31.500	1.859

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-62-अ-82-17-18-1283

मौजा घोसीपट्टी पट.ह.नं.- 04 तहसील देवरी

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा (गौरझामर) नहर एवं चौपड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु गिम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा (गौरझामर) नहर एवं चौपड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : घोसीपट्टी
 4. पट.ह.नं.- : 04
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.350 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
बांयी मुख्य नहर की शाखा (गौरझामर) नहर						
1	राम पिता गुलाब सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	140/1	1.680	0.241	
2	राजेन्द्र पिता रणछोड़ी रोशनी प्रियंका पुत्री रणछोड़ी साकिन खामखेड़ा	भूमिस्वामी	140/2	0.530	0.242	
3	मोहन पिता गुलई साकिन खामखेड़ा	भूमिस्वामी	141	1.500	0.156	
4	सीताराम पिता गुलाबसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	183/1	0.500	0.021	
5	दीपक वल्द उत्तम सराफ साकिन मंडला	भूमिस्वामी	183/2	0.830	0.021	
6	संतोष नाबालिग वल्द वली गोकल सिंह साकिन खामखेड़ा	भूमिस्वामी	183/3	0.600	0.021	
7	संजीव कुमार पिता विनोद कुमार साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	183/5	0.400	0.021	
8	संजय कुमार वल्द शंकरलाल साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	182/1	0.800	0.053	
9	अनिल कुमार पिता खुशालचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	182/2	0.810	0.053	
		भूमिस्वामी	186/2	0.850	0.032	
10	जिनेन्द्र कुमार पिता शंकरलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	186/1	0.860	0.032	
11	विनोद कुमार, अजित कुमार पिता खुशालचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	187	1.660	0.117	
चौपड़ा मायनर नहर						
12	सुधीर कुमार वल्द गोकलचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	213/3	1.600	0.140	

13	आभारानी पति विनोद कुमार साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	215/3	1.550	0.090
14	कुन्दनसींग वल्द गुलाबसींग साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	216/1	0.250	0.050
		भूमिस्वामी	217	0.460	0.060
योग:-			16	14.880	1.350

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-63-अ-82-17-18-1281

मौजा मढी जमुनिया पट.ह.नं.- 09 तहसील देवरी

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| (1) परियोजना का नाम | : | सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | देवरी |
| 3. ग्राम | : | मढी जमुनिया |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 09 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 1.475 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	भगवानदास वल्द निजाम साकिन देह	भूमिस्वामी	582/2	0.400	0.039	
2	अशोक वल्द सीताराम साकिन गोरझामर	भूमिस्वामी	582/3	0.200	0.039	
3	केशरबाई जोजे कोमलचंद साकिन गोरझामर	भूमिस्वामी	583	0.220	0.046	
4	केशरबाई जोजे कोमलचंद, कोमलचंद वल्द बददुलाल साकिन गोरझामर	भूमिस्वामी	584	0.720	0.084	
5	जगदीश वल्द भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	585	1.900	0.105	
6	संतोषरानी पति भगवत साकिन देह	भूमिस्वामी	579	0.700	0.053	
		भूमिस्वामी	577	0.510	0.076	
7	प्रभातराव वल्द विनायकराव साकिन देह	भूमिस्वामी	578	0.530	0.063	
8	भागीरथ वल्द मोहन साकिन देह	भूमिस्वामी	576	0.350	0.046	
9	रगवीर सुन्दर बन्नी पिता भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	575/1	0.350	0.024	
10	बलराम राजकुमार पिता परताप साकिन देह	भूमिस्वामी	575/2	0.400	0.024	
		भूमिस्वामी	573	0.310	0.029	
11	रगवीर सुन्दर बन्नी पिता भैयाराम समतरानी वेवा भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	574	0.800	0.063	
12	अमोलरानी पति राजकुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	572	0.360	0.028	
13	बलराम वल्द परताप साकिन देह	भूमिस्वामी	571/1	1.080		
14	राजकुमार वल्द परताप साकिन देह	भूमिस्वामी	571/2	0.470	0.085	
15	दलीप मौजी पिता दरई बाई नन्दीबाई पुत्री दरई सा. देह	भूमिस्वामी	565/1	0.660	0.122	
16	सरोजरानी वेवा मनोहर साकिन देह	भूमिस्वामी	565/2	0.010	0.122	
17	लक्ष्मीनारायण वल्द बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	549/1	0.410	0.025	
18	राजेश वल्द बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	549/2	0.400	0.025	
19	चन्द्रभान वल्द बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	549/3	0.400	0.025	
20	बन्नीप्रसाद वल्द बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	549/4	0.400	0.025	
21	सुन्दर वल्द सुक्के, पूसाबाई पुत्री सुक्के	भूमिस्वामी	548/1	0.630	0.034	
22	नारायणसींग पिता बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	548/2	0.800	0.034	
23	रामसींग वल्द परमानंद साकिन देह	भूमिस्वामी	546/1	0.270	0.012	
24	नारायणसींग पिता बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	546/2	0.100	0.012	
25	राधारानी पति हरगोविन्द विश्वकर्मा साकिन देह	भूमिस्वामी	546/3	0.480	0.012	
26	सीताराम वल्द परमानंद साकिन देह	भूमिस्वामी	546/4	0.270	0.012	
27	प्रेम गुलाब हरप्रसाद गुडा पिता रामनाथ इन्द्राणी वेवा रामनाथ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	545	0.780	0.098	
28	नारायण सिंह वल्द बैजनाथ सियारानी वेवा बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	543	1.610	0.113	
योग:-			30	16.520	1.475	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-64-अ-82-17-18-1279

मौजा खामखेड़ा पट.ह.नं.- 05 तहसील देवरी

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : खामखेड़ा
 4. पट.ह.नं.- : 05
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.989 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	अजय कुमार नाबालिग वल्द व वली तेजबल लोधी सा. देह	भूमिस्वामी	302	1.050	0.383	
2	कन्छेदी पिता महाराजसींग, भागबाई देवा महाराजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	370	1.300	0.038	
3	बृजेश परसराम वल्द श्यामलाल, रामरती, हरीबाई पुत्री श्यामलाल, आशीष पिता नथू क्रांति पुत्री नथू सरोजरानी देवा नथू साकिन देह	भूमिस्वामी	371/1	2.340	0.171	
4	अभिषेक नाबालिग वल्द व वली छोटेलाल वल्द भुवानीप्रसाद लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	371/2	0.400	0.171	
5	प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	398	0.570	0.055	
6	भगवत सींग पिता रतनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	396	0.650	0.872	
7	नरेन्द्र सिंह पिता भगवत सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	394	1.480	0.152	
8	अजयसींग नाबालिग वली पिता गोविन्द सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	393	0.830	0.277	
		भूमिस्वामी	382/3	0.800	0.277	
9	विद्याबाई पुत्री बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	390/1	0.200	0.022	
		भूमिस्वामी	390/2	0.050	0.022	
10	पुनीताबाई जोजे रामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	390/3	0.400	0.022	

11	सूरजराणी जोजे प्रतापसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	390/4	0.520	0.022
		भूमिस्वामी	390/5	0.150	0.022
12	प्रतापसिंग पिता गुलाबसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	387/1	0.500	0.092
13	उदयसिंग पिता गुलाबसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	387/2	1.700	0.092
14	राजेन्द्र वल्द रणछोड़ी रोशनी प्रियंका पुत्री रणछोड़ी साकिन देह	भूमिस्वामी	387/3	0.400	0.092
15	विजयसिंग नाबालिग वली पिता गोविन्द सिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	382/1	1.740	0.069
16	देवराजसिंग पिता चन्द्रभानसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	382/2	1.270	0.069
17	दीपराजसिंग पिता चन्द्रभानसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	382/4	1.270	0.069
योग:-			20	17.620	2.989

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) निवेदन यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-39-अ-82-16-17-भू-अर्जन-17-1572

सागर, दिनांक 8 फरवरी 2018

मौजा कंकरा पट.ह.नं.- 48 तहसील केसली

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की निवारी कलॉ जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से लगभग 950 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारी कलॉ जलाशय निर्माण कार्य हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : कंकरा
 4. पट.ह.नं.- : 48
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.08 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	अर्जित रकबा (हेक्ट.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	पूजा पुत्री सुरेश साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	315/1	0.230	2.080	
2	अश्विनीकुमार पिता अंजनीकुमार अजय पिता सुरेशकुमार अर्जित पिता राघवेन्द्र विनय, संजय पिता गनेश प्रसाद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	315/2	3.480		
3	दिनेश कुमार पिता गौरीशंकर साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	315/3	4.000		
योग				7.710	2.080	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-40-अ-82-16-17-भू-अर्जन-17-1569

मौजा कुकरयाऊ पट.ह.नं.- 53 तहसील केसली

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन सभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की निवारी कलों जलाशय डूब क्षेत्र एवं दांयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से लगभग 950 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारी कलों जलाशय एवं नहर निर्माण कार्य हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : कुकरयाऊ
 4. पट.ह.नं.- : 53
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.56 है.

:: अनुसूची-1 ::

संरल क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्ट.में)	अर्जित रकवा (हेक्ट.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
डूब क्षेत्र						
1	विद्या तिवारी जोजे के0 के0तिवारी साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	6	1.510	0.470	
2	प्रेमचन्द बल्द कपूरचन्द्र साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	11	4.020	0.090	
3	कीर्ति पिता अंविकाचरण करिणवाला पुत्री अंविकाचरण तिवारी साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	3	0.800	0.020	
		भूमिस्वामी	8	1.410	0.380	
		भूमिस्वामी	9	1.410	0.010	
5	सदरानी वेवा हिम्मा व्दारका बद्री चन्द्रभान ब्रजनंदन पिता हिम्मा बेटीबाई पुष्पाबाई अनीताबाई पुत्री हिम्मा कलीबाई पुत्री गफलू साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	7	2.720	0.080	
Total			06	11.87	1.05	
नहर क्षेत्र						
1	कुदऊ पिता कन्छेदी साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	97	2.440	0.100	
2	कुदऊ पिता कन्छेदी झुन्ता वेवा कन्छेदी साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	96	3.180	0.190	

3	कच्छेदी बल्द मोहन साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	98/1	1.240	0.060	
4	धनसीग बल्द मोहनलाल साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	98/2	1.230		
5	बैजनाथ पिता टीकाराम साकिन निवारी खुर्द	भूमिस्वामी	99	1.880	0.250	
6	अकिंत चंचल बल्द चक्रेश साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	104/1	2.870	0.200	
7	गनेश बल्द धनसीग साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	104/2	2.020		
8	संजय कुमार बल्द सुरेशचन्द्र साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	104/3	1.620		
9	तरवर पिता गफलू साकिन निवारी खुर्द	भूमिस्वामी	106	2.890	0.300	
10	राजेश कुमार पिता गुलाबचंद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	108/1	0.430	0.250	
		भूमिस्वामी	108/2	1.550		
11	प्रफुल्ल बल्द मानकलाल साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	108/3	0.240		
12	रोमिल कुमार पिता राजेशकुमार साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	108/4	1.970		
13	दीपचन्द सुशील प्रफुल्ल ग्यानचंद पिता मानकलाल अमित रजनीकांत धरमेन्द्र पिता ताराचन्द सुमतरानी बेवा ताराचंद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	109	1.300	0.160	
योग			14	24.86	1.51	
महायोग			20	36.73	2.56	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-41-अ-82-16-17-भू-अर्जन-17-1579

मौजा कुसमी पट.ह.नं.- 49 तहसील केसली

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की निवारी कलों जलाशय योजना अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से लगभग 950 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारी कलों जलाशय निर्माण कार्य हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : कुसमी
 4. पट.ह.नं.- : 49
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.39 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	अर्जित रकबा (हेक्ट.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	शशीबे. बल्द नन्हे वीर पता सा. देह	भूमिस्वामी	555	1.15	0.07	
		भूमिस्वामी	553	3.58	1.53	
2	रघुवीरसिंह, निजामसिंह, मेघराजसिंह, शिवशंकर सिंह, पिता मोतीलाल, सकुनवाई, सहनवाई, रक्कावाई, किरनवाई, अनितावाई, रेखावाई, ममतावाई, सरलावाई, नीतूवाई, सदारानी बेवा बाबूलाल	भूमिस्वामी	552/1	4.88	0.02	
3	नेतराज बल्द रघुनाथसींग पता सा. अमोदा	भूमिस्वामी	552/2	0.81		
4	प्रभाबाई पुत्री भानु-प्रताप सुरेश बालिंग जोगेन्द्र गुड्डू बाबू बल्द दौलतसींग सकिन देह	भूमिस्वामी	539/4	0.43	0.29	
5	दुर्गाबाई पति रघुनाथसींग पता सा. देह	भूमिस्वामी	539/3	0.43	0.01	
6	छोटीबाई बेवा सुकई पता सा. देह	भूमिस्वामी	538	2.97	1.47	
योग:-			07	14.25	3.39	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-42-अ-82-16-17-भू-अर्जन-17-1567

मौजा निवारी खुर्द पट.ह.नं.- 53 तहसील केसली

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन सभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की निवारी कला जलाशय दांयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से लगभग 950 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारीकला नहर निर्माण कार्य हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : निवारी खुर्द
 4. पट.ह.नं.- : 53
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.70 है.

:: अनुसूची-1 ::

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	जगदीश प्रसाद बल्द वावूलाल गुप्ता साकिन नरसिंह वार्ड गाडरवारा	भूमिस्वामी	5/3	3.000	0.245	
		भूमिस्वामी	9/1	0.120	0.120	
		भूमिस्वामी	25	0.950	0.280	
		भूमिस्वामी	28/2	1.120	0.260	
		भूमिस्वामी	29/1	0.700	0.070	
2	श्रीमति सुनीता पति सुरेन्द्रसिंह कौशिक साकिन फरीदाबाद हरयाणा	भूमिस्वामी	5/4	2.100	0.245	
		भूमिस्वामी	14/6	2.400	0.170	
3	नन्हीवाई फूलावाई पुत्री विशालसींग साकिन निवारी कला	भूमिस्वामी	14/1	2.100	0.170	
4	जवाहर बल्द हरीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	29/2	1.300	0.14	
योग:-			09	13.790	1.700	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस

जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-43-अ-82-16-17-भू-अर्जन-17-1581

मौजा निवारी कलॉ पट.ह.नं.- 53 तहसील केसली

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की निवारी कलॉ जलाशय डूब क्षेत्र एवं दांयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से लगभग 950 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| (1) परियोजना का नाम | : | निवारी कलॉ जलाशय एवं नहर निर्माण कार्य हेतु |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | केसली |
| 3. ग्राम | : | निवारी कलॉ |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 53 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 130.13 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	अर्जित रकबा (हेक्ट.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
डूब क्षेत्र						
1	गुरतरीग बल्द गुवंदी गौड साकिन पीपल तहसील देवरी	भूमिस्वामी	40	0.070	0.070	
		भूमिरवामी	41/1	0.030	0.030	
		भूमिरवामी	41/2	0.030	0.030	
2	तोदरनसीग बल्द गन्धर्वसीग पता सा.देह	भूमिस्वामी	43/1	2.140	2.400	
3	अमित ना.वा. बल्द वली राजेश निवासी ग्राम	भूमिस्वामी	43/2	1.400		
4	राजेश बल्द रमेश पता सा.देह	भूमिस्वामी	46/1	1.770	3.320	
5	राकेश बल्द रमेश पता सा.देह	भूमिस्वामी	46/2	1.770		
6	अरविन्दसीग बल्द कमलसीगपता सा.देह	भूमिस्वामी	44/1	2.020	3.630	
7	गोविन्दसीग बल्द कमलसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	44/2	1.610		
8	अम्बिकाबाई जोजे देवीसीग पता सा.देह	भूमिस्वामी	25/1	0.690	2.190	
9	राजराजी जोजे मिहरबानसीग पता सा.देह	भूमिस्वामी	25/2	0.050		
10	कल्याणसीग बल्द मेहरबानसीग पता सा.देह	भूमिस्वामी	25/3	0.850		
	लाखनसीग देवीसीग पिता मिहरबानसीग पता सा. देह	भूमिस्वामी	25/4	0.600		
11	देवीसीग पिता मिहरबानसीग पता सा.देह	भूमिस्वामी	26	1.130	1.130	

12	लाखनसीग बल्द मेहरबानसीग पता सा.देह	भूमिस्वामी	27/1	1.080	1.930	
13	रामविनोद बल्द परसराम साकिन देह	भूमिस्वामी	27/5	0.850		
14	शिवराजसीग बल्द रघुनाथसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	28/1	1.680	2.680	
15	शिकाबाई जोजे झामसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	28/2	1.000		
16	हनुमतसीग बल्द आँकारसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	29/1	3.200		
17	रघुनाथसीग पिता चन्द्रभानसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	29/2	1.410	3.940	
18	नन्हूसीग बल्द गम्मतसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	29/3	1.150		
19	जिनेन्द्रकुमार पिता कमलचंद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	29/4	1.210		
20	राजकुमार भूपनारायण मनोजकुमार हाकम पिता नत्थू क्रांती ऊषा पुत्री नत्थू साकिन आमोदा	भूमिस्वामी	31	0.470	0.470	
21	शिवराजसीग बल्द रघुनाथसीग पता सा.देह	भूमिस्वामी	30	0.490	0.490	
22	रमेशचन्द्र बल्द ताराचंद पता सा.कुसमी	भूमिस्वामी	33	4.010	1.690	
23	राममनी पति निरंजनसीग पता सा.देह	भूमिस्वामी	32	1.070	0.920	
24	जिनेन्द्रकुमार बल्द कमलचन्द्र साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	16	2.230	1.660	
25	अभयराज ना. बा. बल्द व बली राजपाल साकिन देह	भूमिस्वामी	17	0.390	0.390	
26	नन्हूसीग बल्द गम्मतसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	18	0.460	0.460	
27	राजेन्द्रसीग बल्द शिवराजसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	11/1	1.860		
28	झामसीग बल्द शिवराजसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	11/2	1.860	7.310	
29	सुहांगरानी जोजे शिवराजसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	11/3	2.020		
30	सुधारानी जोजे राजेन्द्रसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	11/4	0.780		
31	इन्द्राबाई पुत्री शिवराज-सीग पता सा.देह	भूमिस्वामी	11/5	0.950		
32	पुरुषोत्तम बल्द मेहरबानसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	21/1	1.700		
33	रामविनोद बल्द परसराम साकिन देह	भूमिस्वामी	21/2	0.970	3.320	
34	देवेन्द्र बल्द कल्यानसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	21/3	0.650		
35	अर्जुनसिंह बहादुरसिंह पिता नन्हूसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	22/1	2.310		
36	इन्द्रसीग बल्द हल्कूसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	22/2	1.410	5.690	
37	कीरतसीग बल्द हल्कूसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	22/3	1.410		
38	प्रकाशरानी वेवा चन्द्रभान साकिन देह	भूमिस्वामी	22/4	0.560		
39	अम्बिकाबाई जोजे देवीसीग पता सा.देह	भूमिस्वामी	45/1	0.300		
40	कमलाबाई जोजे लाखनसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	45/2	0.970	2.550	
41	देवेन्द्र बल्द कल्यानसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	45/3	0.630		
42	लाखनसीग देवीसीग पिता मिहरवानसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	45/4	0.650		
43	खिलान बल्द परवतसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	23/1	4.290		
44	भगवानसीग बल्द खिलानसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	23/2	2.000	8.290	
45	संतोष कुमार बल्द खिलानसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	23/3	2.000		
46	नन्हेवीर बल्द मकुन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी	10/1	1.530		
47	ग्याबाई पुत्री तोडल साकिन आमोदा	भूमिस्वामी	10/2	0.770	3.060	
48	राममनी पति निरंजन राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	10.3	0.760		
49	खिलान बल्द परवतसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	8	1.410	1.020	
		भूमिस्वामी	49	0.31	0.31	

50	ओंकार चन्दमान नन्हु पिता गम्मत रल्लीबाई हल्लीबाई गोमतीबाई पुत्री गम्मत दशरथ बल्द लखन सिवंता माया पुत्री लखन प्रगरानी जोजे लखन साकिन देह	भूमिस्वामी	12/1	0.710	1.550	
51	बृजेश राजेश पिता जीवनसींग विनीता पुत्री जीवनसींग जमनाबाई देवा जीवनसींग साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	12/2	2.330		
52	त्रिवेणी जोजे जगन्नाथसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	11/1	1.090	1.090	
53	लखनसींग, रामसींग पिता जगन्नाथसींग, लीलाबाई सीताबाई, बिल्लोबाई पुत्री जगन्नाथसींग, त्रिवेणीबाई देवा जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	51/1	2.020		
54	त्रिवेणी जोजे जगन्नाथसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	51/2	0.120		
55	सुहागरानी जोजे प्रेमचंद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	51/3	1.210	6.560	
56	अंगूरीबाई जोजे दीपचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	51/4	1.610		
57	संदीपकुमार बल्द प्रेमचंद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	51/5	0.400		
58	हरिसिंह पिता भोलानाथ राजपूत साकिन झिरिया	भूमिस्वामी	51/6	1.200		
59	खलकसींग बल्द जगन्नाथसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	110/1	2.020		
6	रामसींग बल्द जगन्नाथसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	110/2	3.150	5.170	
61	भूपेन्द्रसिंह पिता कच्छेदी जाति राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	110/3	0.400		
62	हुकुमचंद पिता सरजू पटेल साकिन जबलपुर	भूमिस्वामी	109/1	1.600		
63	तेजबल बल्द सुलतान साकिन देह	भूमिस्वामी	109/2	1.590	3.080	
64	हरदयाल बल्द सुलतान साकिन देह	भूमिस्वामी	109/3	1.590		
65	रघुवीरसींग बल्द नारायणसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	108/1	1.870		
66	श्यामरानी पुत्री किशोरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	108/2	1.600	2.600	
67	नाथूराम बल्द खूबचन्द पता सा.सहजपुर	भूमिस्वामी	52	1.620	1.620	
68	अशोककुमार, राकेशकुमार सुनीलकुमार, पवन कुमार पिता हीरालाल, सुमतरानी बेबा हीरालाल, मायाबाई, सुनीताबाई सरोजबाई पिता हीरालाल साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	55	1.180	1.180	
69	दीपचन्द बल्द कपूरचन्द्र पता सा.सहजपुर	भूमिस्वामी	53/1	1.420	2.830	
		भूमिस्वामी	53/2	1.410		
70	मजूस जाजे संदीप पता सा.सहजपुर	भूमिस्वामी	54	1.620	1.620	
71	भागचन्द्र बल्द खूबचन्द्र साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	56/1	1.960		
72	वंशीधर बल्द खूबचन्द्र साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	56/2	1.960	4.790	
73	ब्रद्रीप्रसाद बल्द खूबचन्द्र साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	56/3	1.960		
74	नाथूराम बल्द खूबचन्द्र साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	56/4	0.350		
75	रमेशसींग बल्द गन्धर्वसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	59	3.150	2.590	
76	अजितकुमार पिता गुलाबचंद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	94/1	0.300		
77	अजितकुमार पिता गुलाबचंद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	94/2	0.670	0.950	
78	अभिषेक पिता केवलचंद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	95/1	1.590		
79	संदीप पिता केवलचंद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	95/2	1.600	3.190	
80	मुन्नालाल पिता गुलाबचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	96	0.320	0.320	
81	विनोद कुमार बल्द फूलचंद पता सा.सहजपुर	भूमिस्वामी	97	7.690	6.170	
82	कीर्तीबाई पति बृजेशसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	98	0.930	0.03	

83	संतोषकुमार पिता गुलाबचंद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	76/1	1.290	5.400	
84	मुन्नालाल पिता गुलाबचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	76/2	0.970		
85	बसंत कुमार पिता गुलाबचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	76/3	1.290		
86	अजितकुमार पिता गुलाबचंद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	76/4	1.290		
87	हुकमचंद पिता गुलाबचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	76/5	1.290		
88	सुरेश पिता दौलतसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	75	1.270	0.100	
89	सुरेन्द्रसींग, गोविन्दसींग, शैलेन्द्रसींग पिता गुलाबसींग, मायाबाई बेबा गुलाबसींग वेवा गुलाबसींग साकिन इटारसी	भूमिस्वामी	73	6.310	4.530	
90	भगवानदास बल्द गुलझारी साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	71	0.720	0.060	
91	राजेश पिता जगदीश पाण्डे साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	72/1	0.560	1.210	
92	रोहित ना. बा. बल्द व वली खुद ब्रजनन्दन बल्द हेमराज साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	72/2	0.840		
93	भगवानदास रामचरण पिता गुलझारी ताराबाई शेववतीबाई पुत्री गुलझारी साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	72/3	0.560		
94	कपिल पिता गोविंद प्रसाद ब्यास साकिन केसली	भूमिस्वामी	72/4	0.560		
95	मुन्ना उर्फ भगवानदास पिता गुलझारी साकिन देह	भूमिस्वामी	66/1	0.760	0.940	
96	गुलझारी पिता कन्हेदी साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	66/2	0.040		
97	भगवानदास बल्द गुलझारी साकिन देह	भूमिस्वामी	66/3	0.180		
98	रामचरण बल्द गुलझारी साकिन देह	भूमिस्वामी	66/4	0.980		
99	संध्या जोजे संतोषकुमार साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	65/1	2.000	3.240	
100	मुन्नीबाई जोजे बसंत कुमार साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	65/2	2.000		
101	सरलाबाई जोजे मुन्ना साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	65/3	2.000		
102	मुन्नीबाई सुनीताबाई पुत्री गुलाबचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	65/4	0.340		
103	हुकुमसींग बल्द रतनसींग साकिन कुसमी	भूमिस्वामी	14/1	1.600	1.300	
104	नन्हूसींग बल्द गम्मतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	14.2	0.320	1.530	
105	राजपालसींग बल्द देवीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	15/1	1.500		
106	राजकुमार भूपनारायण मनोजकुमार हाकम पिता नत्थू क्रांती ऊषा पुत्री नत्थू साकिन अमोदा	भूमिस्वामी	15/2	0.210		
107	अर्जुनसींग बहादुरसींग बल्द नन्हू राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	15/3	0.600		
108	निर्मल बल्द मत्थू साकिन देह	भूमिस्वामी	113	0.890	0.890	
109	गोविन्दसींग बल्द परवतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	114/1	3.510	0.760	
110	राजकुमार बल्द गोविन्दसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	114/2	2.000		
111	जितेन्द्रकुमार ना.वा.बल्द व वली गोविन्दसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	114/3	2.000		
112	जगन्नाथ पिता रामप्रसाद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	7/1	0.900	0.070	
113	संध्या पति सोहन साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	7/2	1.010		
114	गोरीशंकर पिता रामप्रसाद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	7/3	0.780		
115	राधेश्याम उर्फ प्राग पिता रामप्रसाद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	7/4	1.310		
116	कस्तूरीबाई वैवा खुमान बड्डू बल्द मोहन फूलरानी वेवा मोहन हल्केवीर नन्हेभाई पिता खुमान अजुद्धीबाई कलीबाई बडीबाई पुत्री खुमान साकिन कुसमी	भूमिस्वामी	19/1	1.130	1.590	
117	कल्याणसींग बल्द मिहरवानसींग साकिन निवारीकलां	भूमिस्वामी	19/2	0.460		

118	कल्याणसींग बल्द मेहरबानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	20/1	0.450	3.300	
119	राजारानी जोजे मेहरबानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	20/2	0.040		
120	रानी पति परसोत्तम राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	20/3	1.620		
121	देवेन्द्र बल्द कल्याणसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	20/4	0.320		
122	देवेन्द्र बल्द कल्याणसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	20/5	0.300		
123	लाखनसींग देवीसींग पिता मिहरवानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	20/6	0.570		
124	धनू बल्द चितरसींग साकिन अमोदा	भूमिस्वामी	34	1.200	0.120	
125	शीलरानी वेवा फूलचंदप्रसाद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	77	0.510	0.010	
योग			130	169.28	129.37	
नहर निर्माण						
126	झब्बू बल्द कुदरु मोहन विजय पुष्पेन्द्र पिता गोरीशकर हेमवतीसुकरती राजेशवरी पुत्री गोरीशकर रामा ना. बा. बल्द गोरीशकर बली ब. खुद मौ सरस्वतीबाई वेवा गोरीशकर जनकाबाई शीलाबाई नन्नीबाई, शारदाबाई सुशीलाबाई पुत्री नत्थू साकिन देह	भूमिस्वामी	74	0.510	0.12	
127	पूरनसींग बल्द प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	83/1	1.160	0.47	
128	सरोजबाई जोजे पूरनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	83/2	2.000		
	विनयसींग बल्द पूरनसींग किरण पति द्वारका साकिन मुहली	भूमिस्वामी	83/3	5.520		
129	श्यामवाई जोजे भगतसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	163	7.660	0.14	
130	श्यामवाई जोजे भगतसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	89/184	0.460	0.02	
131	सुरेश पिता दौलतसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	84	1.100	0.01	
योग:			07	18.41	0.76	
महायोग			137	187.69	130.13	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा-जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-44-अ-82-16-17-भू-अर्जन-17-1583

मौजा मुहली पट.ह.नं.- 53 तहसील केसली

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन सभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की निवारी कला जलाशय डूब क्षेत्र एवं बांयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से लगभग 950 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारी कला जलाशय एवं बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु
 (2) भूमि का वितरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : मुहली
 4. पट.ह.नं.- : 53
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 17.76 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हे.में)	अर्जित रकवा (हेक्ट.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
डूब क्षेत्र						
1	सुनीता पति सुरेन्द्रसिंह कौशिक पता सा.फरीदाबाद हरियाणा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	306/1	0.350	0.350	
2	अर्जुनसींग पता भगतसींग पता सा. निवारीकला	भूमिस्वामी	306/2	0.340	0.340	
3	अभिषेक बल्द नन्हेभाई लीलावती उर्फ ज्योति वैवा नन्हेभाई साकिन अमोदा	भूमिस्वामी	316	1.630	1.020	
		भूमिस्वामी	307	5.120	5.12	
4	गोविन्द गोविन्द पिता राधेश्याम पता सा. अमोदा	भूमिस्वामी	315	2.950	2.690	
5	धरमाबाई पति रामप्रसाद साकिन बिलहरी	भूमिस्वामी	314/1	0.400	1.750	
6	राजेन्द्र बल्द वावूलाल (धनसींग बल्द मूरतसींग गौड(0.80हे.) मूरतसींग बल्द गुबंदी गौड(0.33हे.) राजेन्द्र बल्द वावूलाल नत्थू बल्द साहबसींग गौड (0.42 हे.) सा सुना	भूमिस्वामी	314/2	1.690		
7	मोहन बल्द रामप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	314/3	1.200		
8	सिलारीबारी पति गनेश पता निवासी बिलहरी	भूमिस्वामी	314/4	0.080		

9	मूरतसींग वल्द रघुवीरसींग साकिन निवारी	भूमिस्वामी	320	1.640	0.050	
10	भगवानदास रघुनंदन पिता शालकराम बल्ले लालचंद प्रेमनारायण पिता दुलारे सा. देह	भूमिस्वामी	313/1	0.590		
11	राजेन्द्र बल्द वावूलाल (धनसींग बल्द मूरतसींग गौड(0.80हे.) मूरतसींग बल्द गुबंदी गौड(0.33हे.) अनंदीसींग बल्द रामकिशुन गौड (0.40हे.) मल्थू बल्द साहबसींग (0.18 हे.) साकिन सुना तहसील देवरी	भूमिस्वामी	313/2	0.580	1.090	
12	जिनेन्द्रकुमार पिता कमलचंद जैन साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	312	2.160	0.030	
13	विजयसिंह बल्द भोलानाथ पता सा.झिरिया सेमरा	भूमिस्वामी	309/1	6.430	0.110	
14	महेश कुमार, जिनेन्द्र कुमार पिता अजीत कुमार साकिन गजबासीदा	भूमिस्वामी	309/2	6.420		
15	भगवानदास रघुनंदन पिता शालकराम बल्ले लालचंद प्रेमनारायण पिता दुलारे सा. देह	भूमिस्वामी	305/1	1.130		
16	राजेन्द्र बल्द वावूलाल धनसींग बल्द मूरतसींग गौड(0.80हे.) मूरतसींग बल्द गुबंदी गौड(0.33हे.) साकिन सुना तहसील देवरी	भूमिस्वामी	305/2	1.130	2.260	
17	अभिषेक बल्द नन्हेभाई लीलावती उर्फ ज्योति वैवा नन्हेभाई साकिन अमोदा	भूमिस्वामी	307	5.120	5.120	
18	विजयसिंह बल्द भोलानाथ पता सा.झिरिया सेमरा	भूमिस्वामी	308/1	0.680	0.260	
19	महेश कुमार, जिनेन्द्र कुमार पिता अजीत कुमार साकिन गजबासीदा	भूमिस्वामी	308/2	0.700		
20	सीताराम पिता वालाप्रसाद पता निवासी अमोदा	भूमिस्वामी	317/1	0.280	0.030	
21	सुनीता पति सुरेन्द्रसिंह कौशिक पता सा. फरीदाबाद हरियाणा	भूमिस्वामी	326/1	0.920		
22	भरतसींग पिता भगतसींग पता सा.निवारी	भूमिस्वामी	326/2	2.410		
23	राजेश्वरी ना.वा.बल्द अर्जुन बली मा सध्या जौजे अर्जुनसींग साकिन निवारी कलां	भूमिस्वामी	326/3	2.06	0.320	
24	सोमतीबाई पुत्री हल्कू पता सा. निवारी	भूमिस्वामी	326/4	3.770		
25	रोहित बल्द अशोक कुमार पता सा.तेदूखेडा	भूमिस्वामी	326/5	1.390		
		भूमिस्वामी	326/6	5.08		
		भूमिस्वामी	326/7	0.93		
26	जीवनसिंह पिता बाबू सिंह साकिन निवारीकलां	भूमिस्वामी	328/1	0.110		
		भूमिस्वामी	328/5	2.110		
27	संध्याबाई जौजे जीवनसींग साकिन निवारी	भूमिस्वामी	328/2	2.000		
28	सुरेशकुमार वल्द लालजी साकिन अमोदा	भूमिस्वामी	328/3	0.010	0.050	
29	साधना जौजे रेवाराम साकिन देवरी	भूमिस्वामी	328/4	2.000		
		भूमिस्वामी	328/8	2.000		
30	धर्मेन्द्रसिंह पिता जीवनसिंह साकिन निवारी	भूमिस्वामी	328/6	0.800		
		भूमिस्वामी	328/7	1.190		
योग:-			37	62.010	15.470	

नहर निर्माण						
31	छदामी बल्द तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	424/1	1.620	0.500	
32	माखन उर्फ मोहन पिता छिदामी साकिन देह	भूमिस्वामी	424/2	2.840		
33	माधुरी पति राजाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	424/3	1.420		
34	अनंतसींग पिता भोपत प्रहलाद बल्द मौजी सा. पीपली तह. गाडरवाडा	भूमिस्वामी	425/1	1.000	0.250	
35	प्रवेशरानी पति सत्यनारायण मुकेश कुमार बल्द प्रहलाद सा. कौडिया तह. गाडरवाडा	भूमिस्वामी	425/2	1.100		
36	पुष्पारानी पति मानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	425/3	1.100		
37	वर्षारानी पति पर्वतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	425/4	1.200		
38	छबरानी उर्फ शांतिबाई जोजे रगवर साकिन देह	भूमिस्वामी	426	2.430	0.150	
39	कमलेश पुत्री नन्हेंवीर साकिन देह	भूमिस्वामी	451	0.500	0.160	
40	नन्हेंवीर बल्द कुन्जी साकिन देह	भूमिस्वामी	452/1	4.000	0.080	
41	राधारानी पति नन्हेंवीर साकिन देह	भूमिस्वामी	452/2	3.600		
42	कमलेश पुत्री नन्हेंवीर साकिन देह	भूमिस्वामी	452/3	1.440		
43	सुनीलकुमार पिता सुरेशकुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	452/4	1.200		
44	प्रमोद पिता ग्याप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	450/1	1.400	0.570	
45	मोहनसींग बल्द गोपीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	450/2	0.800		
46	प्रेमरानी पति शोभाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	450/3	0.800		
47	ओंकार पिता राजाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	450/4	1.060		
48	दशरथ पिता राजाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	450/5	1.050		
49	नरेन्द्र पिता बुधु साकिन देह	भूमिस्वामी	450/6	1.000		
50	वावूलाल पिता गोपीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	450/7	0.600		
51	अक्षय ना.वा. बल्द प्रमोद पिता ग्याप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	450/8	0.800		
52	विनोदकुमार बल्द गोपीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	447	1.000	0.020	
53	सुरेन्द्रसिंह पिता दीपकचंद कौशिक साकिन फरीदाबाद हरियाणा	भूमिस्वामी	459	1.930	0.180	
54	उमावाई पति बृन्दावन साकिन मुहली	भूमिस्वामी	460	1.920	0.160	
55	जितेन्द्र बल्द देवेन्द्र साकिन देह	भूमिस्वामी	461	1.920	0.220	
योग:-			25	38.080	2.290	
महायोग :-			62	100.090	17.760	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-114-भू-अर्जन-2018

बालाघाट दिनांक 2 फरवरी 2018

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भण्डारखोह लघु जलाशय योजना के परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बालाघाट	बालाघाट	भण्डारखोह प0ह0न0 17 रा0नि0म0 बालाघाट	रकबा 0.271 हे0 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां	भू-अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट जिला बालाघाट	भण्डारखोह लघु जलाशय योजना के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति

अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dm.balaghat@nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है।

4 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.व्ही.सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-567-रीडर-1-भू-अर्जन-2018

मंदसौर, दिनांक 7 फरवरी 2018

प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82/2014-15

{ प्रारंभिक सूचना }

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का अधिकार अधिनियम 2013) (क्र. 30 सन 2013)

चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि निचे दि गई निम्नांकित अनुसूचि -1 में कैथुली से भीमपुरा, राजस्थान सीमा तक पहुँच मार्ग योजना में ग्राम कैथुली की भूमि सड़क निर्माण के आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 उल्लेखित है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. (30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित की जाती है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम कैथुली

क्र	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे. में		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	कैथुली	1.491	1.038	2.529
	योग	1.491	1.038	2.529

अनुसूची (2)

कैथुली से भीमपुरा, (राजस्थान सीमा तक) पहुँच मार्ग

क्र	प्रभावित कृषक का नाम ग्राम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	7
01	जोरावरसिंह पिता मोतीसिंह औढ	200/1/1	0.308	-	0.068	0.068
02	कानजी पिता उंकार औढ	200/1/3	0.240	-	0.026	0.026
03	कारूलाल, बगदीराम, लक्ष्मीनारायण, सम्पतबाई पिता कैदार, काशीबाई बैवा केदार, लक्ष्मीनारायण ना.बा.अ.पा. काशीबाई धाकड	201/2	0.374	0.074	0.000	0.074

04	केशरबाई बैवा मोतीराम धाकड	203/1 204/1	0.086 0.116	0.016 —	- 0.016	0.016 0.016
05	मांगीलाल, मथुरालाल, बालाशंकर, कारीबाई, धीसीबाई पिता प्रभूलाल, मांगीबाई बैवा रतनलाल, नन्दलाल, ईश्वरलाल, विद्याबाई पिता रतनलाल धाकड	205	1.003	0.060	-	0.060
06	नन्दसिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी गोविन्दा राजस्थान	220/2	0.609	0.021	0.009	0.030
07	फतेसिंह पिता तंवरसिंह, बहादुरसिंह, मानसिंह, बलवंतसिंह, रघुवीरसिंह, सुरतसिंह, उत्सवकुंवर पिता सरपन्नसिंह राजपूत निवासी गोविन्दा राजस्थान	207	4.144	0.022	0.022	0.044
08	सीताराम पिता मोतीराम धाकड	212/1	0.440	0.028	-	0.028
09	गुडडीबाई पति बालाशंकर धाकड निवासी भीमपुरा	212/3/1	0.398	0.015	-	0.015
10	घासी पिता उदा मीणा	214	1.700	0.120	-	0.120
11	राधेश्याम, कैलाश पिता नारायण, जशोदाबाई बैवा नारायण, जगदीश, राजू, मुकुन्द पिता घनश्याम अ.पा.क. भाई जगदीश पिता घनश्याम मीणा	220/1 220/3	0.280 1.316	0.011 0.053	- 0.016	0.011 0.069
12	प्रभूलाल पिता बापूलाल धाकड	240	0.036	-	0.018	0.018
13	पनमानन्द पिता धन्नालाल धाकड	241	1.076	0.076	-	0.076
14	शंकरबाई पिता नारायण धाकड	242	2.003	0.047	-	0.047
15	घनश्याम, रामदयाल, गोकुलबाई पिता काना, बालकबाइ बैवा काना धाकड	243	2.683	0.019	-	0.019
16	कारूलाल पिता बालचंद धाकड	246/2/1	2.023	0.023	-	0.023
17	बजरंगलाल, सत्यनारायण, राधेश्याम, मुन्नाबाई, कैलाशबाई, गिराज पिता कंवरलाल, कमलाबाई बैवा कंवरलाल धाकड	246/4	1.011	0.011	-	0.011
18	रामेश्वर पिता देवीलाल धाकड निवासी भीमपुरा	246/5	1.011	0.011	-	0.011
19	सुरजसिंह पिता श्रवणसिंह निवासी गोविन्दा राजस्थान	303	0.458	-	0.044	0.044
20	सुरजसिंह पिता श्रवणसिंह राजपूत निवासी गोविन्दा राज0	306	0.413	-	0.043	0.043
21	सुरजसिंह पिता श्रवणसिंह राजपूत निवासी गोविन्दा राज0	307	0.340	-	0.020	0.020

22	कारीबाई पति धनराज अहीर	310	2.663	0.112	0.063	0.175
23	जगजीवन, प्रमोद, महेन्द्रकुमार, निथलेख कुमारी पिता मोहनलाल ब्राह्मण निवासी मडावर जिला झालावाड राज0	312 379	0.097 0.429	- -	0.097 0.029	0.097 0.029
24	शम्भूबाई बैवा नारायण धाकड	313/1	0.960	-	0.036	0.036
25	हरलाल पिता पुरा, समेन्दबाई पति हरलाल चमार	314	0.809	-	0.010	0.010
26	शंभूलाल पिता बालचंद धाकड	315/1	1.079	-	0.030	0.030
27	मांगीलाल पिता काशीराम धाकड	316/1	3.123	-	0.050	0.050
28	डालीबाई बैवा काशीराम धाकड	316/2	1.219	-	0.023	0.023
29	शम्भूलाल पिता भंवरलाल, रमेशचंद पिता जगन्नाथ धाकड	319/1/1 m2	1.199	-	0.064	0.064
30	गीताबाई बैवा रामकल्याण, धनराज, हंसराज, परमानन्द, नन्दकुंवर, निर्मला, कुसुमलता, कमलाबाई पिता रामकल्याण अहीर	369	0.299	0.029	-	0.029
31	परमानन्द पिता रामकल्याण अहीर	370	0.648	0.078	-	0.078
32	जीवराज पिता मांगीलाल ब्राह्मण	377	1.728	0.054	0.028	0.082
33	कुशलचंद, प्रकाशचंद, लाडकुंवर पिता माणकचंद महाजन	587	0.502	-	0.128	0.128
34	कांतीबाई बैवा माणकचंद, दीपचंद, प्रकाशचंद, कुशलचंद पिता माणकचंद, महाजन	598	0.987	-	0.112	0.112
35	मधुबालाबाई पिता रामस्वरूप ब्राह्मण	601	0.360	0.030	-	0.030
36	कैलाशचंद पिता नन्दलाल, संजय पिता नन्द लाल, अ.पा.क. नन्दलाल पिता नारायण नाई	602	0.611	0.061	-	0.061
37	देवीलाल, श्यामलाल पिता मांगीलाल, कालीबाई बैवा मांगीलाल गुर्जर	603	0.466	0.026	-	0.026
38	सत्यनारायण पिता रामरतन ब्राह्मण	622 626	0.182 0.709	0.067 0.072	- -	0.067 0.072
39	छोटेखां पिता दलशेरखा मुसलमान	631	0.190	0.060	-	0.060
40	गोपाल, बंशीलाल, कांतीबाई, सुगनबाई पिता काना, उर्मिलाबाई बैवा मोहनलाल, रोहित, ओम पिता मोहनलाल	632	0.429	0.029	-	0.029
41	सतवीर पिता रामगोपाल अहीर	633 647	0.335 0.166	0.042 -	- 0.026	0.042 0.026
42	कैलाशकुमार पिता रामगोपाल ब्राह्मण	635	0.150	0.050	-	0.050

43	कैलाशचंद्र, अशोक, सुशीलाबाई, रेखा, ललीताबाई, मिनाबाई, सरस्वती बैवा राजेन्द्र विनय, नितेश पिता राजेन्द्र, सत्यनारायण, विष्णु, ईश्वरलाल, नन्दाबाई, ज्योती पिता रामचंद्र, मांगीबाई बैवा रामचंद्र, ब्राह्मण	638	0.299	0.050	-	0.050
44	धन्नालाल, दयाराम पिता भंवरलाल, व पुष्पाबाई बैवा भंवरलाल धाकड	639	0.688	0.060	0.060	0.120
45	उर्मिलाबाई बैवा मोहन, रोहितकुमार पिता मोहन ओम ना.बा.स.प. उर्मिलाबाई बैवा मोहन, अहीर	645	0.599	0.064	-	0.064
योग				1.491	1.038	2.529

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
औमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भू-अर्जन-प्र.क.-अ-82-17-18 पत्र-क्र.70 भू-अर्जन-2018

सतना दिनांक 8 फरवरी 2018

ललितपुर- सतना-रीवा - सिंगरौली - महोबा- खजुराहो (541 किलोमीटर) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम बिकरा तहसील नागौद जिला सतना की निजी भूमि रकवा 10.652 हे० का भू अर्जन के लिए धारा 19 का प्रकाशन 01 जुलाई 2016 को किया गया था, इस प्रकार 01 जुलाई 2017 को एक वर्ष पूर्ण हो चुके है। इस अवधि के भीतर गाइड लाइन की विसंगति के कारण अधिनिर्णय नहीं किया जा सका है, किन्तु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानानुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम बिकरा तहसील नागौद जिला सतना के अधिनिर्णय किये जाने हेतु एक वर्ष की अवधि विस्तारित की जाती है।

भू-अर्जन-प्र.क.-अ-82-17-18 पत्र-क्र.72 भू-अर्जन-2018

ललितपुर- सतना-रीवा - सिंगरौली - महोबा- खजुराहो (541 किलोमीटर) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम सड़वा तहसील नागौद जिला सतना की निजी भूमि रकवा 22.037 हे० का भू अर्जन के लिए धारा 19 का प्रकाशन 29.07.2016 को किया गया था, इस प्रकार 29 जुलाई 2017 को एक वर्ष पूर्ण हो चुके है। इस अवधि के भीतर दिनांक 17.07.2017 को 13.103 हे० का अवार्ड पारित किया जा चुका है। कार्यकारी अभियंता पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा पत्र क्रमांक का.अभि.नि./ सतना- पन्ना / भू अर्जन / एक दिनांक 12.07.17 द्वारा लेख किया गया कि ग्राम सड़वा की आराजियों के कई बटांक

हो जाने से वास्तविक रूप से प्रभावित कृषकों एवं प्रथक प्रथक रकवे का आकलन किया जाना आवश्यक है इस हेतु राजस्व विभाग के साथ सयुक्त रूप से सर्वेक्षण के पश्चात् ही स्पष्ट हो सकेगा कि किस आराजी से कितना-कितना रकवा अर्जित किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजियों को अवार्ड से प्रथक रखते हुये शेष आराजियों का अवार्ड पारित किये जाने हेतु लेख किया गया है। शेष आराजियों का युक्त युक्त सर्वेक्षण पश्चात् अवार्ड पारित किया जाना है, जिसमें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानानुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम सड़वा तहसील नागौद जिला सतना के अधिनिर्णय किये जाने हेतु एक वर्ष की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

पत्र क्रमांक-259-भू-अर्जन-2018

सोहागपुर दिनांक 12 फरवरी 2018

“भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013”

धारा-19 की उपधारा (4) की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम माछ-तिथडा, राजस्व निरीक्षक मण्डल शोभापुर, तहसील सोहागपुर, जिला होशंगाबाद शोभापुर-माछ मार्ग पर कुब्जा नदी पर पुल व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क)	जिला	-	होशंगाबाद (म.प्र.)
(ख)	तहसील	-	सोहागपुर
(ग)	नगर/ग्राम	-	माछ-तिथडा
(घ)	लगभग क्षेत्रफल	-	0.113 हेक्टेयर

प्रकाशन करने हेतु :-

क्र.	भूमिस्वामि का नाम	ग्राम	ख.नं.	अर्जित रकबा (हे.मै.)
1	2	3	4	5
1	शारदा बाई बेवा छोटे, आशा बाई पुत्री छोटे, राधा बाई पुत्री छोटे, निवासी ग्राम माछ तहसील सोहागपुर	माछ	489	0.052
2.	राजेन्द्र वल्द उदय कुमार ग्राम तिथडा तहसील सोहागपुर	तिथडा	197/2	0.061
योग-02		--	02	0.113

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- शोभापुर-माछ मार्ग पर कुब्जा नदी पर पुल व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला होशंगाबाद एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु होशंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्रमांक 2 अ-82-17-18-1503

बैतूल दिनांक 12 फरवरी 2018

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	कुम्भी	11.497	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)	कुम्भी जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

स० क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	रामकला जौ पान्डया जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी	82 83	0.753 0.138	0.753 0.138
2	मोती व. दादू जाति कोरकू पता सा देह भूमिस्वामी	80/1	2.446	1.961
3	गोपाल पुत्र रामलाल जाति मेहरा पता सा देह भूमिस्वामी	77/6	1.076	0.700
4	पतिराम तुकाराम व. भोदल रूचू बेवा भूता जाति कोरकू पता सा देह भूमिस्वामी	97	0.733	0.206
5	मंगली बेवा प्रेमलाल जगोती पिता प्रेमलाल जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी भू राजस्व	96/1	0.565	0.347
6	राम किसन व. भगताराम जाति कोरकू पता सा देह भूमिस्वामी भू राजस्व बांध 1.50	80/3	2.000	1.838

7	भैय्या व. दादू जाति कोरकूपता सा देह भूमिस्वामी	80/4	0.446	0.446
8	सखाराम पुत्र ओमकार जाति कोरकू पता सा देह भूमिस्वामी	80/2 78	1.619 0.433	1.255 0.088
9	फिरंग व. सिंगू जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी	79/1 74/10	0.543 0.162	0.543 0.011
10	रंगलाल व. रिंगू जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी	79/2 74/20	0.542 0.162	0.542 0.017
11	चंदरलाल व. सिंगू जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी	79/3	0.542	0.542
12	मुन्नीबाई जौ. मिलाप जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी	85/3 74/19 85/2	0.200 0.420	0.200 0.420
13	चन्द्रकला जै. पांडू जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी	74/5 85/1	0.178 0.057	0.178 0.057
14	सोमता व. पान्डू जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी भू राजस्व बांध	85/6	0.255	0.255
15	शेरू व. पान्डू जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी भू राजस्व बांध	85/7	1.000	1.000
	योग -	22	14.270	11.497

1- चूंकि कुम्भी जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक-1503-अ-.....-2017-2018

धार दिनांक 12 फरवरी 2018

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में बाण्डी सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम मूसापुरा तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- मूसापुरा

तहसील - धार जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	बाण्डी सिंचाई तालाब योजना हेतु	1.810	1.645	3.455
	योग	1.810	1.645	3.455

अनुसूची (2)

बाण्डी सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम मूसापुरा तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	अजितसिंह, अजयसिंह, प्रेमसिंह, जीवनसिंह पिता मोतीसिंह व जमुनाबाई पति स्व. मोतीसिंह जाति पुरव्या निवासी ग्राम नौगाँवा	154/1	0.000	0.708	0.708	0.000	0.465	0.465
		155/1	0.000	0.620	0.620	0.000	0.405	0.405
2	रमेश पिता कुन्दलाल जाति माली निवासी धार	155/2	0.000	0.759	0.759	0.000	0.210	0.210
3	लीलाबाई पति केकूसिंह जाति भिलाला निवासी माफीपुरा	159	2.529	0.000	2.529	0.270	0.000	0.270
4	अनिल उर्फ राधेश्याम जाति गवली निवासी धार	163/1	0.550	0.000	0.550	0.500	0.000	0.500
5	गणपतसिंह पिता शंकरलाल जाति गवली निवासी धार	163/2	0.989	0.000	0.989	0.480	0.000	0.480
6	चन्द्रशेखर, प्रताप, दीपक, लोकेश पिता सदाशिव जाति गवली धार	163/3	0.000	0.580	0.580	0.000	0.285	0.285
7	द्वारकाबाई पति स्व. शिवनारायण, लखनसिंह पिता शिवनारायण जाति गवली धार	163/4	0.000	0.550	0.550	0.000	0.280	0.280
8	धनराज पिता दयारामजी जाति खण्डेलवाल निवासी तिरला	164	0.506	0.000	0.506	0.405	0.000	0.405
9	दुला पिता झेतारा जाति भिलाला निवासी	166/2	2.023	0.000	2.023	0.155	0.000	0.155
	योग:-		6.597	3.217	9.814	1.810	1.645	3.455

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्रमांक-82-प्रवा-1-भू-अर्जन-2018

रायसेन, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्रमांक 82/भू-अर्जन/2018 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक...../अ-82/.....चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के क्र० 1 में दीवानगंज सिंचाई योजना की दांयी एवं बांयी तट नहर निर्माण हेतु तहसील रायसेन जिला रायसेन की ग्राम बरजोरपुर, छोला, सरार, खोआ एवं अम्बाड़ी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि दीवानगंज सिंचाई योजना का पूर्व से निर्मित सम्राट अशोक सागर बांध (हलाली) से निर्माण हो रहा है। व्यक्तियों के विस्थापन एवं पुनर्वासन की आवश्यकता न होने के कारण सामाजिक समाघात रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची-1

दीवानगंज सिंचाई योजना के नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि तहसील रायसेन

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में
1.	बरजोरपुर	0.785
2.	छोला	0.284
3.	सरार	0.570
4.	खोआ	0.265
5.	अम्बाड़ी	0.108

दीवानगंज सिंचाई योजना के नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि तहसील रायसेन

क्र.	ग्राम	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा	अन्य
प्रस्ताव क्रमांक-1					
1	बरजोरपुर	सीताराम पुत्र मन्लाल	3/1/1	0.186	
2	बरजोरपुर	लक्ष्मी बाई वेवा हजारी लाल, नर्वदा प्रसाद आ. हजारी लाल	3/2	0.238	
3	बरजोरपुर	मुन्नीबाई पत्नी कैलाश प्रसाद	3/1/2	0.088	
4	छोला	मुंशीलाल पुत्र भवानी सिंह	58/1/1	0.142	
5	छोला	खेमचंद, गुलाब सिंह, मुंशीलाल, भवानी सिंह, धनीराम, बुद्धलाल आ. भवानी सिंह, दयाबाई, पूनमबाई पुत्रियां भवानी सिंह	58/1/2	0.142	
			कुल योग	0.796	
प्रस्ताव क्रमांक-2					
6	बरजोरपुर	भोलाराम, निहालसिंह, मलखानसिंह, गीताबाई, लीलाबाई, सम्पतबाई आ० हरचंद	14/1/1/1/1	0.132	
			14/3/1/1	0.141	
7	सरार	गुलाबसिंह, कमलाबाई आ. मूलचंद	241/1	0.302	
8	सरार	बलराम, गजराज, करनसिंह व आजादसिंह आ. हजारी व भंवरीबाई बेवा हजारी	53	0.184	
9	सरार	संतोबाई पत्नि गजराज सिंह	48/3	0.084	
10	खोआ	आधारबाई पुत्री रामलाल, विकास, रवि, आदित्य नाबा. घासीराम रीताबाई नाबा. पुत्री घासीराम व लीलाबाई बेबा घासीराम	108 184	0.095 0.170	

11	अम्बाडी	इन्दरसिंह, थानसिंह, लक्ष्मणसिंह, सरदारसिंह, यशपाल, मोहनबाई, आ. काशीराम, प्रीतमसिंह, नारायणसिंह, संताबाई आ. पन्नालाल, कस्तूरीबाई बेबा मुंशीलाल, ओमकारसिंह, रतनसिंह, अर्जुनसिंह, भैरोसिंह, भगवानसिंह वदनसिंह, सूरजबाई, सरोजबाई, आ० मुंशीलाल, थानसिंह, हरिसिंह, महेन्द्रसिंह संतोबाई आ० बाबूलाल	299/2	0.075	
12	अम्बाडी	हरिओम आ० खुमानचंद, फैजान, नूरखा आ० मो. नूरखा, बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल	171/1/1	0.033	
			कुल योग	1.216	
			महायोग	2.012	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) रायसेन तहसील रायसेन के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्रकरण क्र. 07-3-82-2017-18

टीकमगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2018

चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ के पक्ष में बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद म्याद गुजरे जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12.11.2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम— बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण
2. भूमि का विवरण — ग्राम—कछियाखेरा, तहसील—टीकमगढ़ जिला—टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल— 0.162 हेक्टेयर

अनुसूची

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे में	अर्जित रकबा हे.में
1	मिथलेश राजेश पत्ति नरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी ग्रामी भूमिस्वामी,	69/1 74/1	0.022 0.656	0.012 0.150
	योग—	2 किता	0.678	0.162

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण करने हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 08-3-82-2017-18

टीकमगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2018

चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ के पक्ष में बगाज माता तालाब योजना के वेस्ट वियर, स्पिल चैनल का निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कड़िका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद म्याद गुजरे जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12.11.2014 की कड़िका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम— बगाज माता तालाब योजना के वेस्ट वियर, स्पिल चैनल का निर्माण
2. भूमि का विवरण — ग्राम-वकपुरा, तहसील-टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल— 0.220 हेक्टेयर

अनुसूची

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं..	कुल रकवा हे में	अर्जित रकवा हे.में
1	योगेन्द्र सिंह तनय राजेन्द्र सिंह, सरदार सिंह तनय लालसिंह, नरेन्द्र सिंह, प्रतिपाल सिंह, छत्रपाल सिंह तनय लालसिंह जाति ठाकुर	116	0.158	0.060
	योग—	1 किता	0.158	0.060
2	अनन्दी तनय अजुध्या अहिरवार	111	0.170	0.160
	योग—	1 किता	0.170	0.160

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— बगाज माता तालाब योजना के वेस्ट वियर, स्पिल चैनल का निर्माण करने हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जनवरी 2018

क्र. 05-अ-82-2016-2017.—उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार तीसरी रेलवे लाइन तीगांव-चींचोड़ा घाट (16.53 कि.मी.) निर्माण के लिये ग्राम-चिकनी, प.ह.नं.-17, ब.नं.-125, रा.नि.म.-पाण्डुर्णा, तहसील-पाण्डुर्णा, रकबा-0.379 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ क्रमांक 4754 में दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत अधिनियम की धारा-19(2) की घोषणा के अनुसार बारह मास की अवधि के भीतर परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के अभाव में अधिनिर्णय नहीं दिया जा सका है।

उपरोक्त के दृष्टिगत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी तीन माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है, बशर्ते कि, उक्त तीन माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय किया जाना अनिवार्य होगा।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

क्र. 06-अ-82-2016-2017.—उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार तीसरी रेलवे लाइन तीगांव-चींचोड़ा घाट (16.53 कि.मी.) निर्माण के लिये ग्राम-तीगांव, प.ह.नं.-17, ब.नं.-177, रा.नि.म.-पाण्डुर्णा, तहसील-पाण्डुर्णा, रकबा-0.517 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ क्रमांक 4753 से 4754 में दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत अधिनियम की धारा-19(2) की घोषणा के अनुसार बारह मास की अवधि के भीतर परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के अभाव में अधिनिर्णय नहीं दिया जा सका है।

उपरोक्त के दृष्टिगत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी तीन माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है, बशर्ते कि, उक्त तीन माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय किया जाना अनिवार्य होगा।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

रा.प्र.क्र.02-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन.—म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा.2-ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत पिपरियागुमानी जलाशय के स्पील चैनल निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पिपरियागुमानी जलाशय के स्पील चैनल निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन					क्रय किये जाने वाला	योजना जिसके लिये भूमि क्रय
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-पिपरियागुमानी प.ह.नं.-41 ब.नं.-168 रा.नि.म.-सिंगोडी.	कोमल पिता बालचंद कतिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	222/3	0.135	पिपरियागुमानी जलाशय के स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग .				1	0.135	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 19 फरवरी 2018

प्र. क्र. 4 अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

भूमि का वर्णन				धारा 12 हेतु	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	रेहटी	अमीरगंज	10.422	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

सीहोर, दिनांक 13 फरवरी 2018

प्र. क्र. 5 अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

भूमि का वर्णन				धारा 12 हेतु	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	रेहटी	अमीरगंज	7.100	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	महादेव बेदरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 7 मार्च 2018

प्र. क्र. 12-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची					धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल			
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ग्वालियर	ग्वालियर	टिहोली	1046	0.100	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की काशीपुरा मायनर के निर्माण हेतु.
			1047			
			1044			
			1051	0.278		
			कुल योग . .	0.378		

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची					धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम	
भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल				
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	
ग्वालियर	ग्वालियर	उटीला	1817/3	0.050	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की अरौली मायनर / आर माईनर के निर्माण हेतु.	
			1249/2				
			1824/2				
			1249	0.076			
			1824				
			1361/1				0.062
			1361/2				0.141
			1288/1	0.025			
कुल योग . .			0.354				

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 12 मार्च 2018

प्र. क्र. 14-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (12) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का नाम
			सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बेरजा	221/1/1/1	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य
			221/1/1/2	नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा,	नहर की उदयपुरा शाखा
			221/1/1/3	जिला ग्वालियर.	नहर की बेरजा माईनर की
			221/2/1		3 एल सबमाईनर के निर्माण
			221/2/2		हेतु.
			222/2/2		
			योग :	0.310	

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (12) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का नाम
			सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सुपावली	584 मिन 1	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य
			585 मिन 1	नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा,	नहर की उदयपुरा शाखा
			योग :	जिला ग्वालियर.	नहर की रशीदपुर
					डिस्ट्रीब्यूट्री की 5 आर.
					मायनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची					धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	सर्वे	रकबा		
			नंबर	(हे. में)		
(4)						
ग्वालियर	ग्वालियर	बेरजा	940/3	0.126	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की रशीदपुर शाखा की 4 एल. मायनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची					धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		(5)	(6)
			सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)			
ग्वालियर	ग्वालियर	रौरा	1633/1	0.176	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की आर. डी. 76305 मी. पर रमौआ स्केप चैनल का निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.